

Seventeenth Series, Vol. XXV No.06

Thursday, July 27, 2023

Sravana 05, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Twelfth Session

(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXV contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

**Secretary-General
Lok Sabha**

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Kamala Subramanian

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXV, Twelfth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 06, Thursday, July 27, 2023/ Sravana 5, 1945 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWER TO QUESTION	
Starred Question No. 101	11-13
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 102 to 120	16-68
Unstarred Question Nos. 1151 to 1380	69-659
OBSERVATION BY THE SPEAKER	
Maintaining decorum and allowing smooth functioning of the House	13-14

PAPERS LAID ON THE TABLE	66-666
MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA	667-668
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES 83 rd to 90 th Reports	669
STANDING COMMITTEE ON FINANCE 59 th to 65 th Reports	670-671
STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ 32 nd to 35 th Reports	672
STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 48 th to 50 th Reports	673
STATEMENTS BY MINISTERS	674-675, 707-718
(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 301 st Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways	674
(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 314 th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Civil Aviation	674

- (c) Status of implementation of the recommendations contained in the 317th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways
Gen. (Retd.) Dr. V.K. Singh 675
- (ii) Latest Developments in India's Foreign Policy
Dr. Subrahmanyam Jaishankar 707-718
- OFFSHORE AREAS MINERAL (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2023** 676-678
- MATTERS UNDER RULE 377** 679-706
- (i) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Latehar district, Jharkhand
Shri Sunil Kumar Singh 679
- (ii) Regarding expeditious construction of bridge on N.H. No. 309 in Ramnagar in Nainital district, Uttarakhand
Shri Tirath Singh Rawat 680
- (iii) Need to step up safety measures to ensure security of passengers travelling in Khandesh Express
Dr. Heena Vijaykumar Gavit 681
- (iv) Need for CBI inquiry in Swarnrekha Multipurpose Project in Jharkhand
Shri Sanjay Seth 682
- (v) Regarding installation of electric pole and transformers on private land by Power Distribution Companies without the permission of land owners
Dr. Dhal Singh Bisen 683

- (vi) Need to redress the grievances of Mentha industry in Uttar Pradesh
Dr. Sanghamitra Maurya 684
- (vii) Regarding alleged irregularities in construction of National Highway No. 731 in Shahjahanpur Parliamentary Constituency
Shri Arun Kumar Sagar 685
- (viii) Regarding omission of Section 49 of Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000
Shri Vijay Baghel 686
- (ix) Need to establish Khelo India Centre at Bolangir, Odisha
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo 687
- (x) Regarding doubling of Maksi - Ruthiyai railway line in Madhya Pradesh
Shri Rodmal Nagar 688
- (xi) Need to delegate power to MPs to take action against officers found guilty of negligence or irregularities in implementation of development schemes during DISHA meetings
Shri Vinod Kumar Sonkar 689
- (xii) Need to complete the construction of check dam at Balurghat
Dr. Sukanta Majumdar 690
- (xiii) Regarding One Nation – One Voter ID
Shri Bhola Singh 691

- (xiv) Need to provide relief and compensation to people affected due to heavy rains in Gadchiroli – Chimur Parliamentary Constituency
Shri Ashok Mahadeorao Nete 692
- (xv) Regarding four-laning of NH No. 30 from Gorakhpur to Shrawasti
Shri Jagdambika Pal 693
- (xvi) Regarding delimitation of parliamentary and assembly constituencies in Assam
Shri Gaurav Gogoi 694
- (xvii) Need to provide small vehicle underpass, service roads and foot overbridge on NH No. 66 (Ramanattukara – Edappalli) in Kerala
Shri T. N. Prathapan 695
- (xviii) Need to increase the flight services from Kannur and Calicut International Airports and also include Kannur Airport in Point of Call list
Shri K. Muraleedharan 696
- (xix) Need to fix a timeframe for assent of the Governor to the Bills passed by Legislative Assembly
Shri S. Ramalingam 697
- (xx) Need to take necessary steps to include the road from Dakshin Barasat Railway Station PWD road to Dhruvachand Haldar College under railway maintenance map and also release the funds for reconstruction of the road
Shrimati Pratima Mondal 698

- (xxi) Regarding setting up of Trauma Care Centres in Anakapalle Parliamentary Constituency
Dr. Beesetti Venkata Satyavathi 699
- (xxii) Need to sanction construction of railway line between Khamgaon and Jalna in Buldhana Parliamentary Constituency
Shri Prataprao Jadhav 700
- (xxiii) Regarding inclusion of Members of Parliament and State Legislatures for flag hoisting on Republic Day and Independence Day
Dr. Alok Kumar Suman 701
- (xxiv) Regarding pre-matric and post-matric scholarships for SC, ST, OBC, SEBC and EWS students
Shrimati Manjulata Mandal 702
- (xxv) Regarding alleged irregularities in the management of land by Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board
Kunwar Danish Ali 703
- (xxvi) Need to permit representatives nominated by the Members of Parliament in meeting of local bodies pertaining to implementation of development schemes
Shri Prince Raj 704
- (xxvii) Need to implement Crop Insurance Scheme and compensate farmers' losses incurred due to natural calamities
Shri Hasnain Masoodi 705

(xxviii) Need to restart DC train and to provide stoppage of various trains in Giridih Parliamentary Constituency

Shri Chandra Prakash Choudhary

706

JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2023

721-740

As Reported by Joint Committee

Motion to Consider

721

Shri Piyush Goyal

721-722,
731-737

Shri Rajendra Agrawal

725-728

Dr.Beesetti Venkata Satyavathi

728-730

Shri Malook Nagar

730-731

Clauses 2 to 4 and 1

738-740

Motion to Pass

740

REPEALING AND AMENDING BILL, 2022

741-745

Motion to Consider

741

Shri Arjun Ram Meghwal

741,
742-743

Shri Subhash Chandra Baheria

741-742

Clauses 2 to 4 and 1

743-744

Motion to Pass

745

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	714
Member-wise Index to Unstarred Questions	715-721

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	722
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	723

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, July 27, 2023/ Sravana 5, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWER TO QUESTION

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 101, डॉ. निशिकांत दुबे जी

... (व्यवधान)

11.00½ hrs

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

(Q. 101)

डॉ. निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल हाइवे का एक बड़ा काम हो रहा है।... (व्यवधान) ऐसा कोई पार्लियामेंट्री क्षेत्र नहीं है, जहां बड़ा काम नहीं हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी एक बड़ी पीड़ा बताना चाहता हूं।... (व्यवधान) एनएचएआई को भारत सरकार ने बनाया है और इसका अपना काम भी है। यह बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन एनएच का जो काम है, उसे स्टेट की पीडब्ल्यूडी करती है।... (व्यवधान) जब उस काम को स्टेट की पीडब्ल्यूडी करती है तो उसके ऊपर मिनिस्ट्री का कोई भी अधिकार नहीं रहता है और उसके ऊपर कोई बंधन भी नहीं रहता है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। एनएच 114ए पर माननीय मंत्री जी ने आज से पांच साल पहले चार फ्लाइओवर्स का निर्माण किया था।... (व्यवधान) उसी तरह एनएच 133 पर एनएचएआई आधे पर चार लेन का प्रोजेक्ट बना रही है और एनएच आधी रोड बना रही है।... (व्यवधान) इसके बावजूद भी पांच साल में वे चार फ्लाइओवर्स नहीं बने हैं। एनएच 133 पर जो फ्लाइओवर बनना है, वह अभी तक नहीं बन पाया है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे यहां एनएच पर कैसे फ्लाइओवर्स बनेंगे और इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य निशिकांत दुबे ने जो जानकारी दी है, वह सही है।... (व्यवधान) विशेष रूप से प्रदेश में स्टेट पीडब्ल्यूडी की ओर से काम होता है। यह टेंडर निकाला गया था। कॉन्ट्रैक्टर के स्लो प्रोग्रेस के कारण उसे टर्मिनेट किया गया था।... (व्यवधान) अब नया टेंडर निकाला गया है। इस नए टेंडर को निकालने में काफी देरी हुई है। इसमें जो देरी हुई है, वह हमारी मिनिस्ट्री में हुई है या स्टेट की पीडब्ल्यूडी में हुई है, इसकी इन्क्वायरी की जाएगी।... (व्यवधान) काफी प्रमाण में यहां देरी हुई है। समय का बंधन होना चाहिए। इसके कारण ही स्वाभाविक रूप से सम्माननीय सदस्य को यह सवाल पूछना पड़ा है। उसकी इन्क्वायरी होगी।... (व्यवधान) आज जिन्होंने देरी की है, वह चाहे मिनिस्ट्री के हों या स्टेट के पीडब्ल्यूडी के हों, उनके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे।... (व्यवधान)

कंस्ट्रक्शन के लिए जो आरओबी हैं, इसको भी हमने 31.3.2021 को सैंक्शन किया था।... (व्यवधान) अभी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया है और नई एजेंसी को पक्का किया जा रहा है। अब जल्दी ही नई एजेंसी के द्वारा काम शुरू होगा, ऐसा विश्वास मैं आदरणीय सदस्य को देना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवे अथॉरिटी और एनएच जो रोड बना रही है, वह बहुत बेहतरीन रोड बन रही है, जिसमें स्पीड के लिमिट होने के बाद भी गाड़ियां तेजी से चलती हैं।... (व्यवधान) मैं वहां दो प्रॉब्लम्स देख पा रहा हूँ। एक तो सड़क के किनारे जो लोग घर बना लेते हैं, उसको एनएचएआई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दूसरा यह है कि जो स्पीड ब्रेकर है, वह जगह-जगह पर लगा दिया जा रहा है और यह रात में दिखाई नहीं देता है।... (व्यवधान)

तीसरा, जानवर का एक बड़ा विषय है, जो मेरे यहां भी है।... (व्यवधान) मैं अभी अखबारों में भी लगातार देख रहा हूँ। खजुराहो वाला जो नेशनल हाइवे बना है, उसके बारे में मैं लगातार देख रहा हूँ।... (व्यवधान) इन तीन प्रॉब्लम्स के बारे में मंत्रालय क्या सोच रहा है और भविष्य में वह किस प्रकार की कार्रवाई करने वाला है? ... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी: अध्यक्ष महोदय, एक बात सही है कि हमने मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में अच्छे हाइवेज बनाए हैं। ... (व्यवधान) रात को वहां के किसान जानवरों को छोड़ देते हैं और वे रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसके कारण ही एक्सीडेंट्स होते हैं... (व्यवधान) निश्चित रूप से राज्य सरकारों को इसके बारे में कानून बनाने और जानवरों को रोकने के लिए कहा जाएगा... (व्यवधान)

दूसरी बात, रोड की क्वालिटी सुधारने के कारण एक्सीडेंट्स की जो संख्या बढ़ रही है, इसके बारे में हम रोड सेफ्टी का ऑडिट भी कर रहे हैं... (व्यवधान) हमारे सम्माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, हम रोड सेफ्टी के बारे में काफी सजग हैं। निश्चित रूप से हर रोड का सेफ्टी ऑडिट करके हम इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे... (व्यवधान) इसके बारे में हमने उपाय करने और योजना बनाने के प्रायोरिटी दी है। इसके ऊपर जनता के सहयोग से निश्चित रूप से अमल किया जाएगा। ... (व्यवधान)

11.05 hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Maintaining decorum and allowing smooth functioning of the House

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस संसद की, इस सदन की श्रेष्ठ परम्परायें रही हैं, उच्च परम्परायें रही हैं, उच्च मर्यादा रही है, लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, वह हमारे लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूँ कि सदन की गरिमा, मर्यादा, उच्च परम्परायें बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके अभाव, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भावनाओं को सदन में रखें। आप यहां नारेबाजी करते हैं, प्लेकार्ड लगाते हैं, माननीय मंत्री जी के आगे प्लेकार्ड लगाते हैं, कोई माननीय सदस्य वेल में आकर स्पीकर से चर्चा करना चाहते हैं, यह तरीका उचित नहीं है

और यह संसदीय परम्पराओं के अनुरूप भी नहीं है। इन संसदीय परम्पराओं को, जो श्रेष्ठ रही हैं, पूरा देश आपके इस आचरण को देख रहा है। आप इसे कहां ले जाना चाहते हैं? अच्छी चर्चा करिए, संवाद करिए। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा, लेकिन यह व्यवहार उचित नहीं है। आपका यह व्यवहार संसदीय परम्पराओं के अनुरूप नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। आप यहां पर क्या व्यवहार कर रहे हैं? पूरा देश आपको देख रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे तो मैं सदन इस तरीके से चलाने वाला नहीं हूँ।

*** WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos. 102 to 120
Unstarred Question Nos. 1151 to 1380)
(Page No. 15 to 659)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की नोटिस प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

... (व्यवधान)

14.00½ hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति: मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने-अपने स्थान पर चले जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपने स्थान पर चले जाइए।

... (व्यवधान)

14.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2, श्री वी.के. सिंह जी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Highway Authority of India, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Highway Authority of India, New Delhi, for the year 2021-2022.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9722/17/23]

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the AI Assets Holding Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.
 - (ii) Annual Report of the AI Assets Holding Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9723/17/23]

... (व्यवधान)

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल):

सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी दामोदर घाटी निगम (निगम के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव का वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2023, जो 12 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 433(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9724/17/23]

- (2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुँच द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का संप्रवर्तन करना) (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 23 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 381(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 जो 14 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 437(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विद्युत (संशोधन) नियम, 2023 जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 466(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचना (संशोधन) नियम, 2023 जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 467(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली से कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुँच) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2023 जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/265/2022/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9725/17/23]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9726/17/23]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापति महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम संस्थापनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) संशोधन विनियम, 2023 जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा. सं. पीएनजीआरबी/टैक/7-टी4एसपीआई/(1)/2022(पी-4116) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9727/17/23]

- (2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार हेतु संस्थाओं को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2023 जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि/1-सीजीडी(08)/2020(पी-894) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9728/17/23]

- (3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का अवधारण) संशोधन विनियम, 2023 जो 28 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएनजीआरबी/कॉम/10-एनजीपीएल टैरिफ (11)/2022(पी-4142) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9729/17/23]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री कौशल किशोर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9730/17/23]

- (3) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9731/17/23]

- (4) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत मेट्रो रेल (कैरिज और टिकट) संशोधन नियम, 2023, जो 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 395(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9732/17/23]

- (5) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता)

(संशोधन) विनियम, 2023, जो 15 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एलएम/पीएम/0003/2021/उदय/एलजीएल/157 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण में) जो 24 मई, 2023 की अधिसूचना सं. फा.सं. एलएम/पीएम/0003/2021/उदय/एलजीएल में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 9733/17/23]

... (व्यवधान)

14.02 hrs

**MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA***

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 16th December, 2022, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 26th July, 2023, with the following amendments: -

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, **for** the word "Seventy-third", the word "Seventy-fourth", be **substituted.**

CLAUSE 1

2. That at page 1, lines 3 and 4, **for** the words, brackets and figures "(Third Amendment) Act, 2022", the words, brackets and figures "(Second Amendment) Act, 2023", be **substituted.**

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

* Laid on the Table

I lay on the Table the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022, as passed by Lok Sabha, and returned by Rajya Sabha with amendments.

14.02½ hrs**COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES**83rd to 90th Reports

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 83वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) 'रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 84वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) 'विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 85वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (4) 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 86वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (5) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (स्वीकृत)' के बारे में 87वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (6) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (अस्वीकृत)' के बारे में 88वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (7) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (स्वीकृत)' के बारे में 89वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (8) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (अस्वीकृत)' के बारे में 90वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

... (व्यवधान)

14.03hrs

STANDING COMMITTEE ON FINANCE

59th to 65th Reports

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance:-

- (1) Fifty-ninth Report on the subject 'Cyber security and rising incidence of cyber/white collar crimes' of the Ministry of Finance (Department of Financial Services), Ministry of Electronics and Information Technology and Ministry of Home Affairs.
- (2) Sixtieth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fifty-third Report on the subject 'Anti-Competitive Practices by Big-Tech Companies' of the Ministry of Corporate Affairs.
- (3) Sixty-first Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fifty-fourth Report on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Investment & Public Asset Management and Public Enterprises).
- (4) Sixty-second Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fifty-fifth Report on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Finance (Department of Revenue).

- (5) Sixty-third Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fifty-sixth Report on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Corporate Affairs.
 - (6) Sixty-fourth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fifty-seventh Report on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Planning.
 - (7) Sixty-fifth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fifty-Eighth Report on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation.
-

14.03¼ hrs

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT

AND PANCHAYATI RAJ

32nd to 35th Reports

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर): सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती

हूँ:-

- (1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संबंधी 32वां प्रतिवेदन।
 - (2) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।
 - (3) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।
 - (4) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।
-

14.03½ hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE
AND EMPOWERMENT

48th to 50th Reports

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ:-

- (1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।
- (2) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) से संबंधित 'विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।
- (3) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

—————

14.04 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 301st Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 301st Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 314th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Civil Aviation*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 314th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Civil Aviation

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9719/17/23 and LT 9720/17/23 respectively.

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 317th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 317th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9721/17/23.

14.05 hrs

**OFFSHORE AREAS MINERAL (DEVELOPMENT AND
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2023***

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND

MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move for leave

to introduce a Bill to amend the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002.

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए“

... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति जी, मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध रूल और रैगुलेशन्स के नियम 72 के अंतर्गत कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 21 के अंतर्गत 51एजी को लेकर इस बिल को देखने की जरूरत है।... (व्यवधान) इसमें राष्ट्रीय प्राकृतिक सम्पदाओं की माइनिंग, खास तौर से सी-माइनिंग, देश के रिसोर्सिस और एन्वायर्नमेंट को पूरी तरह से ध्वस्त करने का कार्य करेगी। आर्टिकल 21 का पूरी तरह से उल्लंघन है और 51एजी के तहत भी पूरा उल्लंघन है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मनीष तिवारी जी ।

... (व्यवधान)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 27.7.2023

माननीय सभापति : श्री अधीर रंजन चौधरी जी ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय सभापति जी, मैं बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ... (व्यवधान) बात यह है कि सारा सदन जानता है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप इस बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी क्या आपत्ति है?

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन दे चुके हैं और यह मूव भी हो चुका है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सौगत राय जी ।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मणिपुर के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी को आना चाहिए। ... (व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, it is a fact, and a clear legal position that introduction of a Bill can only be opposed under Rule 72, on the legislative competence. The Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023. which is proposed to be introduced, seeks to amend the OMDR Act, 2022, which was enacted under the exclusive power of the Parliament under Entry 54, List I, that is the Central List, under the Seventh Schedule to the Constitution of India. The Entry states that regulation of mines and mineral development to the extent to which such regulation and

development under the control of the Union is declared by the Parliament by law to be expedient in the public interest.... (*Interruptions*)

Further, Article 297 of the Constitution of India states that all minerals within the offshore areas shall vest in the Union. The States shall have no right over the minerals in the offshore areas. Hence, there is no question of legislative competence here.... (*Interruptions*)

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इनके कार्यकाल में एलॉटमेंट के रूट से 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व' डिस्क्रीशन रूट से एलॉटमेंट की जाती थी... (व्यवधान) इन लोगों ने एलॉट किया, बाद में इल्लिगल के कारण सीबीआई इन्क्वायरी हुई, चार्जशीट हो गई, सब कुछ हो गया ... (व्यवधान) We are now trying to bring in a very clear and transparent system of auction. This is the only thing we wish to bring through this amendment. There is no question of any legislative competence. The Parliament has got full legislative competence. Therefore, I would request you to allow me to introduce the Bill.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।“

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I introduce ^{**} the Bill.

** Introduced with the recommendation of the President.

14.10 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय सभापति : नियम-377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में अध्यक्ष-पीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा में जिन माननीय सदस्यों को आज नियम-377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

... (व्यवधान)

**(i) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in
Latehar district, Jharkhand**

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): संसदीय क्षेत्र चतरा अत्यन्त पिछड़ा और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (LWE) है। लातेहार जिला अन्तर्गत प्रखण्ड बरवाडीह अत्यन्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस प्रखण्ड में शिक्षा का घोर अभाव है। आर्थिक पिछड़ेपन, अशिक्षा, नक्सलियों का दंश क्षेत्र को अंधकार की ओर ले जा रहा है। मण्डल रेल प्रबंधक, धनबाद द्वारा लातेहार जिला अन्तर्गत प्रखण्ड बरवाडीह में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भेजा जा चुका है। रेल मंत्रालय द्वारा इसके लिए जमीन भी प्रदान कर दी गई है। अब मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास विचाराधीन है। इस प्रखण्ड में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना होती है तो महुआडॉड, गारू, भंडरीया, गढ़वा एवं छिपादोहर आदि प्रखण्डों के पिछड़े क्षेत्र के बाल - बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा। अतः मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह है कि लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखण्ड में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की दिशा में शीघ्र अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

* Treated as laid on the Table.

**(ii) Regarding expeditious construction of bridge on N.H. 309 in
Ramnagar in Nainital district, Uttarakhand**

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): मैं सरकार का ध्यान केंद्र के द्वारा रामनगर (नैनीताल) के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 309 पर धनगढ़ी नाले पर पुल निर्माण की स्वीकृति दिए जाने के संदर्भ में आकर्षित करना चाहता हूं। साथ ही इस बात की जानकारी भी देना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट पर टेंडर प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई थी, परंतु यह प्रक्रिया अभी भी बाधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण बरसात के दिनों में पुल नहीं बनने से लोगों को रामनगर आने के लिए काफी परेशानी होती है और वाहन के आवागमन में भी हमेशा समस्या होती है। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष रामनगर के निकट धनगढ़ी नाला बरसात में विकराल रूप ले लेता है और प्रतिवर्ष अनेक वाहनों के बहने और जनहानि की घटनाएं होती हैं। पूर्व में राज्य सरकार व जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इस पुल के निर्माण के निरंतर प्रयास किए गए। परंतु वे अपने कार्य में सफल नहीं हुए।

धनगढ़ी पुल के निर्माण के बाद बरसात के मौसम में रामनगर और पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात् गढ़वाल और कुमाऊं के वाहनों को आने और जाने में निर्बाध आवागमन जारी रहेगा और कोई जन एवं संपत्ति की हानि भी नहीं होगी। मैं भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड ऑल वेदर रोड सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य प्रगति से करने के लिए धन्यवाद करता हूं और इसके कारण आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की यात्रा पूरी तरह से सहज और सुगम हो जाएगी। मैं केंद्र सरकार से धनगढ़ी पुल के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का आग्रह करता हूं, जिससे लोगों को रामनगर आने और जाने में कोई परेशानी ना हो।

(iii) Need to step up safety measures to ensure security of passengers travelling in Khandesh Express

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Train Number 19003 Khandesh Express which runs between Bandra Terminus and Bhusawal Junction has reported an increase in cases of theft in recent times. The train carries a large numbers of passengers on a daily basis and there have been complaints from them regarding repeated cases of theft and robbery by criminals who operate in the form of a gang and their modus operandi is to steal the belongings of passengers and get down at the nearest station by pulling the chain. These incidents are reported mostly in the Bhestan area which is also a halt station for Khandesh Express. I had taken up this issue with both the General Manager Western Railways and Railway Police, who had assured me of crackdown on these gangs and improving the safety and security of passengers. However, till now, no substantial action has been taken and there has been no decrease in the cases of theft and robbery which has created an atmosphere of fear and chaos amongst the passengers travelling on this train. I request the Hon'ble Minister of Railways to kindly look into the increasing cases of theft on Khandesh Express and also take strict actions against them and provide security and safety measures to ensure hassle free and safe travel.

**(iv) Need for CBI inquiry in Swarnrekha Multipurpose
Project in Jharkhand**

श्री संजय सेठ (राँची): 1976 में संयुक्त बिहार था। उस समय झारखंड के चांडिल में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना लाई गई। उस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर बड़ा बांध बनाना था, और इससे बिजली उत्पादन, सिंचाई सहित कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना था। परियोजना को आए हुए 45 साल से अधिक हो गए परंतु अब तक यह परियोजना पूर्ण नहीं हो पाई। 1976 में 150 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई परियोजना आज 14 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत की हो चुकी है। बावजूद इसके न तो विस्थापितों को न्याय मिल पाया ना तो यह परियोजना पूर्ण हो पाई। परियोजना के कारण 116 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए और इसके 19000 से अधिक परिवार विस्थापित हुए। आज भी जब बरसात का पानी डैम पर बढ़ता है तो इस क्षेत्र के सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं। इस पर अब कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी तक हुए कार्यों की सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि विस्थापितों को न्याय मिल सके। परियोजना पूर्ण हो सके और आम जनता जो डैम को लेकर हमेशा दहशत में रहती है, वह भी सामान्य जीवन जी सके। इस पूरी परियोजना की जांच सीबीआई के माध्यम से कराई जाए।

(v) Regarding installation of electric pole and transformers on private land by Power Distribution Companies without the permission of land owners

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अपने पोल, ट्रांसफार्मर आदि निजी/शासकीय भूमि पर बिना भूमिस्वामी के संज्ञान या सहमति के उनकी भूमि पर लगा लेते हैं इसके बदले ये कंपनी भूमि स्वामी को कोई मुआवजा या किराया नहीं देती है। यदि बाद में मूल भूमि स्वामी इसी भूमि पर किसी निर्माण या अन्य उपयोग लिए अपनी भूमि पर लगे पोल, ट्रांसफार्मर आदि को हटवाना चाहते हैं तो कंपनी नहीं हटाती है। यदि हटाती भी है तो भारी धनराशि इसके बदले भूमिस्वामी से लेती है। यहां तक कि विद्युत कंपनी शासकीय विभागों से भी शिफ्टिंग के लिए राशि लेती है। इससे किसान या भूमिस्वामी काफी आर्थिक एवं मानसिक परेशानी से जूझता है। विद्युत कंपनियों की अनापत्ति के अभाव में अनेक शासकीय निर्माण तक प्रभावित होते हैं। अतः जनहित में मैं मांग करता हूं कि विद्युत कंपनियां ट्रांसफार्मर, पोल एवं अन्य कार्य के लिए भूमि स्वामी को किराया स्वरूप राशि दे या इस पर पोल/ट्रांसफार्मर आदि न लगाये।

**(vi) Need to redress the grievances of
Mentha industry in Uttar Pradesh**

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): मैं अपने संसदीय क्षेत्र बदायूं व उत्तर प्रदेश के 8-9 जिलों के मेंथा व्यापारियों की परेशानी से अवगत कराना चाहती हूँ। मेंथा उद्योग कृषि आधारित निर्यात-मुखी उद्योग है। सम्पूर्ण भारतवर्ष के 85% मेंथा की फसल उत्तर प्रदेश के 8-9 जिलों में विशेष रूप से होती है। इसमें लाखों किसान, ग्रामीण मजदूर, MSME के अंतर्गत आने वाली 500 से अधिक निर्माता तथा निर्यातक इकाइयाँ, अनेक स्किल्ड एवं अन-स्किल्ड कर्मचारी कार्यरत हैं। मेंथा के 75% - 80% फिनिशड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, शेष 25 % उत्पाद भारतीय घरेलू बाजार में बिकते हैं। इसका उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादन करीब 6000/- करोड़ रूपए वार्षिक का है, जिसमें निर्यात के द्वारा लगभग 4000/- करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा प्रदेश को प्रति वर्ष प्राप्त होती है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहयोग मिलता है। वर्तमान में यह इंडस्ट्री सिंथेटिक मेंथॉल के प्रकोप से जूझ रही है, जो विदेशों द्वारा आयात किया जा रहा है और नेचुरल मेंथॉल का कोड यूज करके कंज्यूमर कंपनियाँ इसका उपयोग कर रही हैं। सरकार से अनुरोध है कि सिंथेटिक मेंथॉल का एचएसएन कोड अलग किया जाए और नेचुरल मेंथॉल का कोड अलग किया जाए तथा सिंथेटिक मेंथॉल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया जाए और साथ ही नेचुरल मेंथॉल इंडस्ट्री को सहायता दी जाए, जिससे यह फसल बचाई जा सके और लाखों किसानों के रोजगार को तबाह होने से रोका जा सके।

(vii) Regarding alleged irregularities in construction of National Highway No. 731 in Shahjahanpur Parliamentary Constituency

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहाँपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 के खंड शाहजहाँपुर बाईपास से खुटार बाईपास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन कार्यदायी संस्थाएं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 के उपखंड में कथित रूप से अत्यधिक घटिया सामग्री का प्रयोग कर रही हैं। जिसकी वजह से कार्य की गुणवत्ता अत्यधिक निम्न स्तर की हो गई है। घटिया निर्माण कार्य के कारण से सरकारी धन का न केवल काफी दुरुपयोग हो रहा है बल्कि सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय जनपद में शाहजहाँपुर बाईपास से खुटार बाईपास तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 731 पर किए जा रहे कार्य की मंत्रालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करके विस्तृत जांच करवाकर इसमें संलिप्त तथाकथित अधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए।

**(viii) Regarding omission of Section 49 of Madhya Pradesh
Reorganization Act, 2000**

श्री विजय बघेल (दुर्ग): राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश दोनों राज्यों में परिसंपत्तियों का बंटवारा 74:26 अनुपात के फार्मूले के तहत हुआ, उक्त अधिनियम के धारा 49 के वजह से वर्तमान में दोनों राज्यों के लगभग 6 लाख पेंशनर परिवारों को (जिसमें मध्यप्रदेश के लगभग 5 लाख व छत्तीसगढ़ के लगभग 1 लाख पेंशनर शामिल हैं) आर्थिक स्वत्वों का भुगतान नहीं हो सकता है। महंगाई भत्ता सहित अन्य विषयों को लेकर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार, झारखंड एवम् उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पुनर्गठन के समय स्थाई बटवारा किया गया था, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ के लिए क्यों लागू नहीं किया गया। जबकि तीनों राज्य का गठन एक साथ हुआ है। मैं यह अनुरोध करता हूँ कि उक्त धारा को छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के हित में विलोपित करने की कृपा करें।

(ix)Need to establish Khelo India Centre at Bolangir, Odisha

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Our Central Government has been encouraging and promoting sports activities at all levels in various parts of the country. India has significantly improved the medal tally at International Sports Events. Odisha has a huge potential in contributing to success stories in the sports. Bolangir Parliamentary Constituency has a sizable population of young people. There are many talented children who need nurturing. A Khelo India Centre is needed in Bolangir so that young talent can be tapped from the grassroots level. They can bring laurels for the nation in National and International Sports events. Government is establishing Khelo India Centres in several parts of the country to build the infrastructure of sports. I request the Minister of Youth Affairs and Sports to establish one Khelo India Centre at Bolangir, Odisha.

**(x) Regarding doubling of Maksi-Ruthiyai
railway line in Madhya Pradesh**

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): संसदीय क्षेत्र राजगढ़ कृषि प्रधान होकर आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य में स्थित है। यहाँ से इन्दौर, मुंबई, गुजरात, भोपाल, नागपुर, आगरा, दिल्ली का सीधा सड़क संपर्क होने के बाद भी यह क्षेत्र आजादी के 70 सालों से विकास के लिये आशान्वित रहा है। मोदी सरकार द्वारा आशान्वित से आकांक्षी स्वरूप दिया तब जाकर विगत वर्षों में सभी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण का संकल्प सिद्ध कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र में पश्चिम-मध्य रेलवे के एकमात्र रेलखण्ड मक्सी- रुठीयाई रेलमार्ग को माननीय प्रधानमंत्री जी व रेलमंत्री द्वारा विद्युतीकरण की ऐतिहासिक सौगात दी गई है। इसी क्रम में रुठियाई से मक्सी रेलखंड का दोहरीकरण सर्वे आदि की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो कर स्वीकृति लिये लंबित है, जिसकी स्वीकृति होने से सारंगपुर, ब्यावरा,पचोर, नरसिंहगढ़, चांचौड़ा, कुम्भराज, रुठियाई सहित समस्त राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लाखों लोगों एवं व्यापारी वर्ग को दिल्ली से मुंबई तक की सीधी सस्ती व कम दूरी की अनेक रेल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा एवं रेलवे को भी मालदुलाई के लिए फास्ट ट्रैक मिल सकेगा जिससे राजगढ़ के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अतः राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जन आकांक्षाओं के अनुरूप माननीय रेलमंत्री जी से मक्सी रुठीयाई रेलखण्ड के दोहरीकरण की स्वीकृति हेतु अनुरोध करता हूँ।

(xi) Need to delegate power to MPs to take action against officers found guilty of negligence or irregularities in implementation of development schemes during DISHA meetings

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): भारत सरकार के निर्देशन में दिशा की बैठक की अध्यक्षता माननीय संसद सदस्यों द्वारा की जाती है। बैठक के दौरान विकास कार्य एवं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेको अनियमितताएँ सामने आती हैं किन्तु बैठक की अध्यक्षता करने वाले माननीय संसद सदस्यों को दोषी व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार ना होने के कारण विकास कार्य व योजनाओं में अनियमितता करने वालों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि दिशा की नियमावली में संशोधन करते हुए दिशा की बैठक के अध्यक्ष मा० संसद सदस्यों को विकास कार्य में अनियमितता व सरकारी योजनाओं सरकारी योजनाओं को लागू करने में लापरवाही करने वाले भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाए जिससे कि विकास कार्य की गुणवत्ता में सुधार एवं जन कल्याणकारी/गरीब कल्याण की योजनाओं का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जा सके।

**(xii) Need to complete the construction
of check dam at Balurghat**

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): The Atreyee river that finds mention even in the Mahabharata, flows from Bengal's Siliguri into Bangladesh before flowing back into South Dinajpur district. The Bangladesh Government has built one rubber dam 'Mohanpur Rubber Dam' some 18 kilometres away from Dinajpur city in Bangladesh to block and store the water from the flow of Atreyee river which has resulted acute shortage of water in the Atreyee River, which originally enters Kumarganj in South Dinajpur, India through Bangladesh. It was blocked by a rubber dam in Dinajpur in Bengal, so the water in the Atreyi River, known as the lifeline of the district for several years was almost non-existent during the dry season. As a result, farmers and fishermen have to face huge losses. Keeping that in mind, the irrigation department has started to build the check dam. So that the farming problems of farmers in a wide area including South Dinajpur are solved. The Irrigation Department has started construction of this check dam on Atreyee river in Shamshanghat area of Balurghat town. This half-built check dam has now become a bathing place for the residents of the city. It has also become a sightseeing spot. Therefore, I request the Government to complete the construction of check dam at Balurghat at the earliest.

(xiii) Regarding one Nation - One Voter ID

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): मतदान को न केवल एक नागरिक कर्तव्य बल्कि एक नागरिक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। हमें मूल मतपत्र की सुगमता सुनिश्चित करने और भूले हुए प्रवासी मतदाता को सशक्त बनाने के लिए "वन नेशन वन वोटर आईडी" की देश में शुरुआत करनी चाहिए। जिस प्रकार से देश में किसी भी उचित की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को सक्षम करने के लिए "वन नेशन वन राशन कार्ड" की शुरुआत की गयी थी जो बिलकुल सफल हुई है और आज कोई भी राशन कार्ड धारक देश में किसी भी राशन की दुकान से अपना राशन ले सकता है। वन नेशन, वन वोटर लिस्ट" से चुनाव प्रक्रिया में सुधार होगा देश की चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए आधार नंबर को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की पहल की गई है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार कहा था कि हमें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए "वन नेशन, वन वोटर लिस्ट" और "वन नेशन, वन इलेक्शन" की चर्चा करते रहना चाहिए जिससे मतदान प्रक्रिया में सुधार होगा। इसलिए मैं भारत में "वन नेशन वन वोटर आईडी" की व्यवस्था की मांग करता हूँ। इसके लागू होने से सरकार के राजस्व का बहुत बड़ा अंश देशहित के अन्य कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा।

**(xiv) Need to provide relief and compensation to people
affected due to heavy rains in Gadchiroli –
Chimur Parliamentary Constituency**

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): मेरे आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर में पिछले दिनों हुई भारी वर्षा ने क्षेत्र के लोगों का जन-जीवन नष्ट कर दिया है तथा फसल की भारी तबाही हुई है। खेतों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण मार्गों में भी भारी वर्षा में पानी भरकर गया है और आवाजाही बंद हो गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र के विशेषतः भामरागढ़, अहेरी, अल्लापल्ली तथा धनोरा के कई दर्जन गांवों का संपर्क मार्ग भी बुरी तरह से नष्ट हो गया। मैं सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि गोसीखुर्द डैम के लगभग 33 दरवाजे खोलने से क्षेत्र की सभी उप नदियां प्रभावित हुई हैं तथा उनमें भारी पानी के आने से क्षेत्र में काफी जन धन की क्षति हुई है। मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष मेरे क्षेत्र में वर्षा के पानी से इसी तरह की भारी तबाही होती है। सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली में एन.डी.आर.एफ. टीम तुरंत भेज कर लोगों को राह पहुंचाए तथा वर्षा की वजह से क्षेत्र के लोगों की फसल क्षति हुई है, उसकी भरपाई के लिए धन का आवंटन किया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष होने वाली भारी वर्षा के पानी से बचाव हेतु भी उपाय किए जाएं।

**(xv) Regarding four-laning of NH 30 from
Gorakhpur to Shrawasti**

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): आज भारत पूरे विश्व में तेज़ी से विकसित हो रहा है। साथ ही भारत की सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा दी जा रही है। वर्तमान में पर्यटन एवं आस्था की दृष्टि से पूरे विश्व में बौद्ध परिपथ (Circuit) बनाने के निर्णय से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के मानने वालों का ध्यान आकर्षित हुआ है। जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में लाखों की संख्या में बौद्ध पर्यटक उत्तर प्रदेश के सारनाथ (वाराणसी), कुशीनगर, कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर) एवं श्रावस्ती प्रतिदिन आते हैं। बौद्ध पर्यटक वाराणसी के सारनाथ से यात्रा शुरू करके कुशीनगर, कपिलवस्तु एवं श्रावस्ती होते हुए लखनऊ तक जाते हैं। इसी कारण वाराणसी के सारनाथ से कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती होते हुए लखनऊ तक बौद्ध सर्किट एक्सप्रेसवे का Four Lane Roadways का निर्माण होना अति आवश्यक है। मैं सरकार से उक्त बौद्ध सर्किट के गोरखपुर से श्रावस्ती से पास होने वाली NH 30 पर फोर लेन के निर्माण की मांग करता हूँ। इसके साथ-साथ इसे बुद्ध सर्किट घोषित कर दिया जाए जिससे दुनिया के देशों से आने वाले बौद्ध पर्यटक को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।

**(xvi) Regarding delimitation of parliamentary and
assembly constituencies in Assam**

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): The Election Commission of India has excluded Sri Sri Batadraba Than, the birthplace of Mahapurush Srimanta Sankardev, with its allied satras and inherent revenue villages from the Batadraba LAC and included it into Nagaon LAC in the proposed delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies in Assam. Furthermore, the Government of Assam recently took a Cabinet decision to merge the existing Batadraba LAC, into Dhing LAC. Batadraba Than identifies with the satras that maintain the philosophy of Sankardeva, the inherent revenue villages centered around the Than under Batadraba Development Block and the entire Hatichung Mouza. But, carving out of the Batadraba LAC in the referred proposal and renaming it into Dhing LAC will result in neglecting the faith and factual existence of Batadraba as a place, which amounts to distorting its legacy and past glory. I urge the Hon'ble Prime Minister of India for immediate intervention in this matter to restore the legacy of Nec Vaishnavism movement initiated by Mahapurush Srimanta Sankardeva and ensure that the current constituency of Batadraba LAC is restored in the final new delimitation proposal of Parliamentary and Assembly constituencies in Assam.

(xvii) Need to provide small vehicle underpass, service roads and foot overbridge on NH-66 (Ramanattukara–Edappalli) in Kerala

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): The widening project of NH 66 Ramanattukara- Edappalli stretch is going on. There are so many concerns of convenience and accessibility of people who live around and use this National Highway. In my review meetings with project officials and locals to map the needs and demands between Punnayurkulam and Kappirikkadavu part in Thrissur district, there are some important demands raised. One is a Small Vehicle Under Pass (SVUP) in Pulampuzha Kadavu and Backside of CSM School in Thalikkulam Panchayat as both these areas are potential for flood impact. If there are no connection between two sides of the NH, the village remains divided in banks of Canoly river. Another need is the service roads in 4 and 5 wards of Talikkulam Panchayat. Absence of service roads in many parts of this project is already a serious concern. Another need is a SVUP in Mandalamkunnu in Punnayurkulam panchayat where a famous pilgrim centre is situated and which is also a coastal town. Another demand comes for SVUP in Edamuttam in Valappad panchayat. There is a high demand for a Foot Over Bridge in Nattika centre in Nattika Panchayat. I kindly request the concerned Ministry to consider and include these demands in the ongoing project.

**(xviii) Need to increase the flight services from
Kannur and Calicut International Airports and also
include Kannur Airport in Point of Call list**

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): I would like to raise a matter regarding the frequent cancellation of flights from Kannur and Calicut Airports to domestic and International destinations. Air passengers are facing difficulty in travelling to reach their destinations. The air passengers are depending now on Cochin and Mangalore Airports, which are very far away for passengers travelling from different districts of Malabar region of Kerala State. Now the Kannur International Airport is facing great losses in crore. Only two Airlines are now operating from this airport. As the number of flights decreased and the fare increased, the International Airlines are not operating their services. Despite having a wide runway with enough space to safely take off any type of aircraft and a terminal with all modern facilities the airport faces neglect. Earlier Air India was operating direct flight via Calicut airport to Delhi but unfortunately this flight has also been cancelled last march 2023. Many representations have been given to the Ministry of Civil Aviation for the inclusion of Kannur Airport in point of call list but it is still pending. I, therefore, request the Government to give a direction to Air India airline and other private airlines to increase their services from Kannur and Calicut International Airports to domestic and international destinations and also include Kannur airport in point of call list.

**(xix) Need to fix a time frame for assent of the Governor to the Bills
passed by Legislative Assembly**

SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI): It is important to draw the attention of the Government that as per Article 200 of Constitution of India, the Governor can withhold the assent but not indefinitely. However, it is important to emphasis that the bills are kept pending indefinitely without any reasons, thereby nullifying the will of the people. The Act of withholding the assent of the bill passed by the Legislative Assembly generally construed to the cessation of that Bill. Thus, by withholding the assent to a bill can completely negate the will of the legislature, and thereby negate the will of the people. In view of the same, I urge the Union Government to analyse this constitutional impasse and take suitable action, frame or fix a timeline to Governor for assent to be given to Bills passed by the Legislative Assembly.

(xx) Need to take necessary steps to include the Road from Dakshin Barasat Railway station PWD road to Dhrubachand Halder college under Railway maintenance map and also release the fund for reconstruction of the road

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I would like to take the opportunity to state that I had spent around Rs 40 lakhs from my MPLADS fund for construction of a black top road from Dakshin Basarat Railway Station PWD road to Dhrubachand Haldar college. The said road is under the jurisdiction of Railways. Thousands commuters use this road daily. But the road has become dilapidated and one of the main reasons is that the two big water bodies on one side of the road which lead to erosion of the soils beneath the road and also hinder the proper maintenance of the road. The two water bodies in question are also the property of railways. I would like to request the Hon'ble Minister of Railways to take necessary steps to include this road under railway maintenance map and release fund for reconstruction of the said road at the earliest in order to the greater interest of the local people.

**(xxi) Regarding setting up of Trauma Care Centres in Anakapalle
Parliamentary Constituency**

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): The National Highways Authority of India and the Ministry of Road Transport and Highways are making concerted efforts to conduct additional road safety audits and eliminate black spots or areas with a high occurrence of fatal road accidents. Based on NCRB data, around 5 lakh road accidents occur in India each year, causing approximately 1.5 lakh fatalities. Within Andhra Pradesh, there are roughly 25,000 road accidents annually, resulting in over 12,000 deaths and numerous serious injuries. Statistics shows that eighteen people die every hour in road accidents in the country. Road accidents in various cities, states and towns are continuously increasing in the country. I would like to bring to the notice of the Government that we have two black spots in my Parliamentary Constituency Thotada junction and Purshotapuram. Hence, I request Hon'ble Minister of Road Transport and Highways and Hon'ble Minister of Health and Family Welfare to sanction Trauma Care Centers, one for district hospital Anakapalli and one for CHC Nakkapalli in my Anakapalle Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh.

(xxii) Need to sanction construction of railway line between Khamgaon and Jalna in Buldhana Parliamentary Constituency

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): मेरा संसदीय क्षेत्र बुलढाणा एक अति पिछड़ा हुआ जिला है। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ कि खामगांव - जालना रेलवे मार्ग की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र देने की कृपा करें। इस संबंध में डीपीआर भी हो चुका है और महाराष्ट्र सरकार ने भी 50 प्रतिशत भागीदारी की स्वीकृति दे दी है। इसका आश्वासन मेरे लोक सभा क्षेत्र में अपनी चुनाव रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी दिया गया था। इस संबंध में विगत 29 अप्रैल 2023 को एक मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें छोटी-मोटी खामियों को सुधार हेतु कहा गया है। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित करने की कृपा करें। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र/जनपद बुलढाणा में खामगांव - जालना रेलवे मार्ग की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र देने की कृपा करें। धन्यवाद।

(xxiii) Regarding inclusion of Members of Parliament and State Legislatures for flag hoisting on Republic Day and Independence Day

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाता है। जिसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजा जाता है तथा इसकी एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी भेजी जाती है। इसी प्रकार, हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के परामर्श से स्वतंत्रता दिवस मनाये जाने के संबंध में निर्देश जारी करता है। ये निर्देश सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को दिए जाते हैं। इन निर्देशों का आधार लम्बे समय से चली आ रही परम्परा है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी; राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला स्तर पर मंत्री/आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल/ब्लॉक स्तर पर मंत्री/उप-मंडल मजिस्ट्रेट; पंचायत मुख्यालय/बड़े गांवों के स्तर पर सरपंच/ग्राम प्रधान, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, लेकिन लोक सभा/राज्य सभा/ विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया जाता है। अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि लोक सभा/राज्य सभा/ विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को जिला स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय पर्वों (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस) पर ध्वजारोहण के प्रोटोकॉल में शामिल किया जाए तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निर्देश जारी किये जायें।

**(xxiv) Regarding pre-matric and post-matric scholarships for
SC, ST, OBC, SEBC, and EWS students**

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Social Justice and Empowerment towards the payment of Pre Matric and Post Matric scholarships to SC, ST, OBC, SEBC and EWS students. As per stipulations of the Ministry in the first phase, the 40% State share and top up maintenance allowance for hosteller students and in Second phase 60 % share of the Central Government was released directly by the Ministry in the students account. Further, to maintain quality education/training as per NCVT standard and following the price hike in the market, day by day essential commodities prices in the market are going up and up. In view of the above situation, it is very difficult on the part of the students to maintain day to day college life. Therefore, I request the Hon'ble Minister to double the scholarship amount to the students to pursue their higher studies.

**(xxv) Regarding alleged irregularities in the management of land by
Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board**

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): I would like to draw the attention of the Government towards the issue of financial irregularities in the management of land by the Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board. It is a matter of great concern that the available information regarding the number of Auqafs registered under Section 36(1) of the Waqf Act, 1995 for the past five financial years reveals significant gaps in the audit of accounts. There is no information regarding the actions taken by the UP Sunni Central Waqf Board against those who failed to submit separate Statements of Accounts and Audited Accounts for the Auqafs during the past five financial years. Additionally, there is insufficient information regarding the number of Chartered Accountants included in the panel of auditors prepared by the Government of Uttar Pradesh and the remuneration they receive. These aspects warrant further scrutiny, as the lack of transparency in disclosing such information undermines the effectiveness of the entire declaration process. I kindly request the Ministry of Minority Affairs to thoroughly investigate this matter and provide detailed information on the number of Auqaf declarations for the past five financial years, as well as the total number of cases selected by the UP government for auditing purposes.

(xxvi) Need to permit representatives nominated by the Members of Parliament in meeting of local bodies pertaining to implementation of development schemes

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर) : ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शहरी विकास और आवासन मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय सदैव प्रयासरत हैं एवं अनेक योजनाओं को लागू कर रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद एवं नगर निगम की बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पदेन सदस्य के रूप में माननीय सांसद एवं विधायक भी सम्मिलित होते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 एवं नगर विकास अधिनियम/नियमावली के अनुसार उपर्युक्त बैठकों में भाग लेने के लिए माननीय सांसद अपने प्रतिनिधि को मनोनीत नहीं कर सकते हैं। एक सांसद के रूप में लगभग हमारे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत 202 ग्राम पंचायत, 2 नगर परिषद, 5 नगर पंचायत और 1 नगर निगम आते हैं। संसदीय कार्यों की व्यस्तता के कारण इन सभी महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेना संभव नहीं हो पाता है। कभी-कभी तो सांसद के प्रस्तावित सत्रों के कार्य दिवस पर बैठक आहूत की जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिहार सरकार संवाद कर उपर्युक्त अधिनियम/नियमावली में संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव लाए, और सांसदों द्वारा मनोनीत सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए अधिकृत किया जाए।

(xxvii) Need to implement Crop Insurance Scheme and compensate farmers' losses incurred due to natural calamities

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): The horticulture sector contributes to more than 8.2 percent of Jammu & Kashmir's GDP. Multiple spells of rains followed by hailstorm caused huge Shopian, damage to the orchards across the districts of Kashmir Pulwama, Kulgam and Anantnag. The fruit laden trees including apple, cherry and pear orchards have suffered extensive damage, endangering the livelihoods of around 45 lakh farmers. According to estimates, the calamity might have caused a loss of Rs 200 Crore to the apple industry. It is pertinent to point out that the fruit industry has already suffered huge losses due to closure of NH- 44 last year and slashing down the import duty of the Washington apple by 20 percent. In the light of this event, the Crop Insurance Schemes become extremely important as they provide financial protection to farmers against losses incurred due to Natural Calamities or other unforeseen circumstances. The Fruit Association of Jammu and Kashmir has been demanding compensation for the losses incurred. There is a strong need for the Government to intervene and give aid packages to the affected farmers and implement a Crop Insurance Scheme that covers trees or root stock.

**(xxviii) Need to restart DC train and to provide stoppage of various trains
in Giridih Parliamentary Constituency**

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह): धनबाद - मुंबई, गिरीडीह- कोलकाता, गिरीडीह-पटना के लिये नई ट्रेन शुरू की जाए। गिरीडीह लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुत ज़रूरी है। तेलो स्टेशन में ट्रेन सं० 13319/13320 दुमका बैद्यनाथ धाम राँची इंटरसिटी एक्सप्रेस एवं 18625/18626 हटिया पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस का ठहराव होता था, लेकिन कोरोना अवधि से दोनों ट्रेनों का ठहराव बंद है। डीसी ट्रेन का परिचालन शुरू कराया जाए। क्षेत्र की जनता खासकर विद्यार्थियों, दिहाड़ी मजदूरों, ग्रामीण आबादी जो हाट बाजार के लिए इस पर निर्भर हैं, उनको सुविधा व राहत मिलेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस राँची हटिया कुर्ला एक्सप्रेस 08609-10 और हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस 02385-86 का ठहराव पारसनाथ स्टेशन में हैं। गोमो स्टेशन में पूर्वा एक्सप्रेस 12381, 12382, जोधपुर एक्सप्रेस 12308, 12307 और लालकुआं एक्सप्रेस (साप्ताहिक) का ठहराव दिया जाए। इन ट्रेनों के ठहराव होने से बोकारो, चंद्रपुरा, बेरमो, बाघमारा, तोपचांची, गोमो और गोमिया तक की बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और रेल के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। गिरिडीह लोकसभा के लोगों की वर्षों की इन माँगों को अनदेखा ना किया जाए क्योंकि इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। और पहले से चल रही ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर देने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है।

माननीय सभापति : श्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर जी ।

... (व्यवधान)

14.14 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS...Contd.

(ii) Latest Developments in India's Foreign Policy

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Hon. Chairperson, Sir, I rise to apprise this august House of the key foreign policy engagements and initiatives taken by India since the Budget Session, which ended on 6th April, 2023. ... (*Interruptions*)

This period witnessed several crucial high level diplomatic engagements including interactions of the hon. President, the hon. Vice-President, and the hon. Prime Minister with foreign counterparts, in India and abroad. I myself visited a number of nations, as did our Ministers of State. And we received many of our foreign colleagues here in India. Through these efforts at multiple levels, we were able to advance our national objectives and interests in a volatile and uncertain world. ... (*Interruptions*)

In terms of the diplomatic engagements of the hon. President, she hosted the King of Cambodia from May 29th to 31st, on his first State visit to India. This marked the celebrations of the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between India and Cambodia. The hon. President was the Chief Guest of the celebrations commemorating the 150 years of the arrival of Indians in Suriname in Latin America in June. She was conferred

Suriname's highest distinction - 'The Grand Order of the Chain of the Yellow Star'. Hon. Chairperson, Sir, I think this is a matter of pride for all Indians. Hon. President also visited Serbia in the same month.

Hon. Vice President visited the United Kingdom on May 5th and 6th to attend the coronation ceremony of King Charles III. He interacted with various leaders, including the Presidents of Germany, Israel, and Brazil. He also met Indian students and diaspora members. In June, hon. Vice President engaged his counterparts from Zimbabwe and Gambia in New Delhi and received the Deputy Prime Minister of the Democratic Republic of the Congo (DRC).

During this period, the hon. Prime Minister visited seven countries and each of these visits is notable and should be appreciated by all the hon. Members of the House. Bilateral visits were made to Australia, the United States, Egypt, France, and the UAE. The hon. Prime Minister participated in the Quad and G7 meetings in Japan, and he co-chaired the 3rd FIPIC Summit in Papua New Guinea. He also hosted the Prime Minister of Nepal and the President of Sri Lanka in New Delhi.

Hon. Chairperson, Sir, the official State Visit to the United States of Prime Minister Narendra Modi from June 20th to 23rd is only the second by an Indian Prime Minister. He was also accorded the rare privilege of addressing the Joint Session of the US Congress for the second time. He is the only Indian Prime Minister to have done it twice. In Washington D.C., the Prime Minister was given a formal State welcome at the White House. As a special gesture, the US Government had invited nearly 8000 members of the Indian

Diaspora to witness the arrival ceremony. The Prime Minister held bilateral talks with the US President on June 22nd. President Biden hosted both the State Dinner and private dinner in honour of the hon. Prime Minister at the White House. The Prime Minister interacted with CEOs of tech companies individually, as also in a round-table that he and President Biden co-chaired. He invited them to strengthen their presence and operations in India. The Prime Minister addressed young entrepreneurs and participated in a skill and innovation meeting along with the First Lady, Dr. Jill Biden.

Sir, this was truly a path breaking visit and I would like to highlight the key outcomes which are reflected in the Joint Statement. They are:

(i) Both sides agreed to augment technology cooperation especially through the initiative for Critical and Emerging Technologies (iCET) which focussed on artificial intelligence, semiconductors, space, quantum and telecom. India was included as a Member in the Mineral Security Partnership, which aims to accelerate the development of sustainable global critical energy mineral supply chains. ... (*Interruptions*)

(ii) Under a Defence Industrial Cooperation Roadmap, the defence industries and start-ups of both countries announced their intent to engage in co-production and other activities. A US company GE Aerospace announced that they would manufacture jet engines in India through transfer of technology to Hindustan Aeronautics Limited for our Light Combat Aircraft indigenous production. ... (*Interruptions*)

Sir, this is a very important outcome. It has been our effort as a country to try to get engine manufacturing for the last 40 years. So, to get this, during this visit is truly something which the country should appreciate.

... (*Interruptions*)

(iii) The Indian Space Research Organisation (ISRO) signed the Artemis Accords with the US National Aeronautics and Space Administration (NASA) for cooperation in civil exploration of outer space for peaceful purposes.

... (*Interruptions*)

NASA and ISRO announced that they would cooperate in human space flight and launch a joint effort to the International Space Station by 2024.

(iv) The two countries resolved six outstanding bilateral trade disputes in WTO through mutually agreed solutions. It is a very unusual and very exceptional way of resolving trade matters and again, Sir, this is something which the House should note and appreciate. The two countries agreed to strengthen collaboration between our respective SMEs and to boost innovation linkages. ... (*Interruptions*)

(v) In the semiconductor domain, three American companies, very well-known companies, made announcements to build a semiconductor assembly and test facility in India; and for training Indian engineers and workforce.

... (*Interruptions*)

(vi) In the Telecommunication sector, both sides agreed to collaborate towards a bilateral Trusted Network/Trusted Sources framework; enable participation of Indian companies in the US Rip and Replace Programme; and

undertake ORAN reciprocal pilot projects. India and USA agreed to also accelerate cooperation in the field of green hydrogen. ... (*Interruptions*)

(vii) To deepen people to people interaction - all hon. Members should have an interest in this particular part of the cooperation because we have a diaspora of 4.4 million Indians in the United States - the US has decided to open two new consulates in Bengaluru and Ahmedabad. India will also take steps to operationalise a new consulate in Seattle later this year and look for two other locations. ... (*Interruptions*)

(viii) We agreed to strengthen education partnerships and the US agreed to return 105 antiquities that were illegally trafficked to the United States.

... (*Interruptions*)

(ix) Given our shared vision of free, open and inclusive Indo-Pacific, we agreed to commence an Indian Ocean Dialogue and the USA will support our Indo-Pacific Oceans Initiative. ... (*Interruptions*)

(x) India and USA will work together for the development of Digital Public Infrastructure and also strengthen our cooperation in Multilateral Development Banks to address global challenges. ... (*Interruptions*)

Sir, I think all hon. Members would be interested to know that Prime Minister himself led the 9th International Day of Yoga on 21st June at the UN headquarters in New York. It involved 135 nationalities and it set a Guinness World Record - world record for the number of countries for any single event in the past. ... (*Interruptions*)

Earlier, the Prime Minister participated in the G7 Summit and the Quad Leaders' Meeting in Hiroshima on 20th May 2023... *(Interruptions)* At the Quad meeting, the leaders reviewed the recent developments in the Indo-Pacific and discussed opportunities for Quad to work further on its priorities... *(Interruptions)* They released the Quad Leaders' Vision Statement ... *(Interruptions)* They announced a new Clean Energy Supply Chains Initiative, a Quad Infrastructure Fellowships Programme, a Quad Partnership for Cable Connectivity and Resilience and we will be working together for the first ORAN deployment in the mid of Pacific in Palau... *(Interruptions)*

The leaders released a Quad statement on critical and emerging technology standards apart from reviewing the progress that we have made on our Maritime Domain Awareness Initiative... *(Interruptions)* They launched a Quad Investors' Network... *(Interruptions)* I am happy to inform the House that the Prime Minister has invited all Quad leaders to India for the next Quad Summit in 2024... *(Interruptions)*

Prime Minister participated in the outreach session of the G7 Summit... *(Interruptions)* He held meetings with 14 Presidents and Prime Ministers as also the UN Secretary General... *(Interruptions)* The details are there in my statement... *(Interruptions)*

With regard to his landmark visit to Australia, Prime Minister held a meeting with his counterpart on May 24. Signing a Migration and Mobility Partnership Arrangement was one of the highlights of the visit ... *(Interruptions)*

It shows the commitment of Modi Government to support students and explore the global workplace ... (*Interruptions*)

During his stay, the Prime Minister interacted with a very wide array of public figures... (*Interruptions*) He participated in a Business Roundtable and addressed the Indian communities... (*Interruptions*) I think we all had the privilege of seeing it in person... (*Interruptions*) Many of us watched it in our country on our television screens... (*Interruptions*) Definitely, it was one of the most memorable visits made by any Head of Government to Australia... (*Interruptions*) I think many hon. Members would recall the words with which the Prime Minister Albanese greeted Prime Minister Modi, calling him 'the boss'... (*Interruptions*) I wish also to add that during the visit, Prime Minister announced our intention to establish a new Consulate in Brisbane, and this is something which we will be doing for the benefit of Indians abroad as well as for NRIs very, very soon... (*Interruptions*)

Sir, I would now like to say a few words about Prime Minister's visit to France... (*Interruptions*) He was the Guest of Honour at the Bastille Day Parade. It is the National Day of France.... (*Interruptions*) It is like our January 26... (*Interruptions*) We had a tri-services military contingent from India including the Punjab regiment... (*Interruptions*) Punjab regiment has a great history in France... (*Interruptions*) It helped to defend Paris during the World War I... (*Interruptions*) Prime Minister was given the rare honour of being conferred the Grand Cross of the Legion of Honour... (*Interruptions*) This is

France's highest civilian award, and the Prime Minister Narendra Modi was the recipient of this award... (*Interruptions*)

He held meetings with the President, the Prime Minister, the Heads of the two Chambers of the Parliament, with CEOs of Indian and French companies and we announced the setting up of a new Consulate in Marseille... (*Interruptions*) We also released a vision document about our strategic partnership that goes on till 2047... (*Interruptions*)

On his way back, Prime Minister visited the United Arab Emirates... (*Interruptions*) In Abu Dhabi, he held talks with Sheikh Mohammad, the President of the UAE and it resulted in three very important outcomes – the trade settlement in our national currencies, interlinking of payments of Central Banks and the establishment of a campus of IIT Delhi in Abu Dhabi... (*Interruptions*) Prime Minister received the President-designate of COP-28 because we will have a very notable role to play at that gathering... (*Interruptions*)

A month before this visit, Sir, hon. Prime Minister paid a state visit to Egypt. It was the first bilateral visit by an Indian Prime Minister to Egypt in 26 years. He held talks with the President of Egypt, and elevated our ties to "Strategic Partnership". We signed agreements in the fields of agriculture, protection and preservation of monuments and archaeological sites and competition laws. We announced direct flights between Delhi-Cairo and setting up of a Centre of Excellence of IT in Cairo. In a special ceremony, Sir, - this should be a matter of great pride for all Indians, for all Members of this House -

Prime Minister was conferred the Order of the Nile', which is the highest state honour of Egypt.... (*Interruptions*)

Another notable development, Sir, during this period was India's co-hosting of the 3rd Summit of the Forum for India-Pacific Islands Cooperation jointly with Papua New Guinea on 22nd May 2023 at Port Moresby. Prime Minister was received with great warmth and courtesy when he arrived in Papua New Guinea. And, Sir, I think, all Members would have seen how the Prime Minister of Papua New Guinea paid his personal respects to our Prime Minister in a manner in which so traditional in India. I think, it speaks great volumes today of India's standing, of Prime Minister's standing in the world.

During his stay in Papua New Guinea, the Prime Minister was conferred the Grand Companion of the Order of Logohu by the Governor-General of PNG, the Companion of the Order of Fiji by the Prime Minister of Fiji, and presented with Ebakl, a symbol of leadership and wisdom, by the President of Palau. Each of these gestures, I think, Sir, should be noted and appreciated by Members, by all citizens of this country because it collectively reflects well on all of us. ... (*Interruptions*)

On the outcomes of the FIPIC Summit, Sir, I want to say that we launched the Sustainable Coastal and Ocean Research Institute in Suva in Fiji, the Data Warehouse for Empowering Pacific Island countries which will host geo-spatial data. This will be in Papua New Guinea. We announced a range of health, IT, education and public delivery initiatives from a 100-bed hospital in Fiji, to an IT Centre, Jaipur Foot Camp and supply of sea ambulances. So, our

development partnership today is something which is making a very deep impact among the countries of this region. ... (*Interruptions*)

For the first time, Sir, after we joined the SCO, we hosted the meeting of the Council of Heads of State. It was done by the Prime Minister on 4th July 2023 in a virtual format. They adopted the New Delhi Declaration and two Joint Statements on Countering Radicalization and Cooperation in Digital Transformation. I would like to inform you, Sir, that during the course of India's Presidency, we hosted 15 ministerial-level meetings, over 130 institutional meetings with a focussed theme SECURE which was an acronym that signifies our priorities. ... (*Interruptions*)

I would now like to talk, Sir, about our neighbourhood. Engagements with immediate neighbours have been prioritized after the Modi Government came into office in 2014. Two prominent visits were those of the Prime Minister of Nepal and the President of Sri Lanka. The Prime Minister of Nepal paid his visit from May 31st to June 3rd. He and the Prime Minister participated in virtual ground-breaking ceremonies of six projects including integrated check-posts, railway lines, petroleum pipeline facilities and transmission lines. They witnessed the handing over of the Kurtha-Bijalpura Section of the Railway Line – I know, many Members would have an interest in that – and they reached understandings on electricity imports from Nepal and on sale to Bangladesh through India. They have also committed to expand the border petroleum pipeline infrastructure. ... (*Interruptions*)

As far as the President of Sri Lanka was concerned, this was his first visit to India in his present capacity. He had a very good discussion with our Prime Minister and we covered all aspects of connectivity from maritime, air and energy to financial and people-to-people connectivity. ... (*Interruptions*)

We signed agreements on development projects in Trincomalee district, on animal husbandry, renewable energy, and UPI interface. ... (*Interruptions*)

The Prime Minister, Sir, raised issues related to the Tamil community in Sri Lanka, and I hope that the Members of Parliament with interest in this special subject should listen to this. ... (*Interruptions*)

He re-iterated the need to fulfil the aspirations of Tamils. He underlined the importance of implementing the 13th Amendment and conducting Provincial Council Elections. ... (*Interruptions*)

He also took up the issue of Indian fishermen. Sir, you are aware that this is an issue which is frequently raised in this House also. ... (*Interruptions*)

He requested the Sri Lankans to approach it on a humanitarian basis. ... (*Interruptions*)

May I, Sir, touch briefly on the subject of G20. ... (*Interruptions*)

I would like to assure you that the pressing issues facing humanity are being highlighted. ... (*Interruptions*)

We are focusing on Mission LiFE, popularisation of millets, human-centric approach to climate action and development, and use of technology to transform lives. ... (*Interruptions*)

We have had a number of Ministerial Meetings of the G20 across India, including the Development Ministers' Meeting in Varanasi, and other meetings in Hyderabad, Goa, Pune, Gandhinagar, and Chennai. ... (*Interruptions*)

So, we are realising our intent to

make India's Presidency a truly national endeavour and showcase India to the world. ... (*Interruptions*)

Sir, I would also like to assure you that the Ministers of the MEA have been very active during this period. ... (*Interruptions*) I, myself, have travelled extensively in Africa and Latin America. My colleagues, the Ministers of State, have done so as well. ... (*Interruptions*) May I say a few words, Sir, about 'Operation Kaveri'. This was an Operation which was launched because of an armed conflict in Sudan. ... (*Interruptions*) We used both Air Force and Navy to bring back more than 4,000 of our citizens. ... (*Interruptions*) So, once again, we have shown that the Modi Government will never leave its people behind during any crisis, anywhere in the world. ... (*Interruptions*)

As far as fishermen are concerned, we have been successful in bringing back 74 of them from Sri Lanka and 398 of them from Pakistan. ... (*Interruptions*) So, in conclusion, Sir, I would like to state that today, the Indian Foreign Policy serves as a force for good and stability. ... (*Interruptions*) We vigorously defend our national interests and also promote international cooperation abroad. ... (*Interruptions*)

Thank you, Sir. ... (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 9721(A)/17/23]

माननीय सभापति : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप इस प्लेकार्ड को नीचे रखिए । आप सब अपने-अपने स्थान पर चले जाइए। मैं आपके नेता श्री अधीर रंजन चौधरी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप चर्चा चाहते हैं तो मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूँ। पहले आप अपने सदस्यों को अपने स्थान पर बैठने के लिए कह दीजिए। अगर हाउस ऑर्डर में होगा तो अनुमति मिलेगी ।

... (व्यवधान)

14.33 hrs

At this stage, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Shri Hibi Eden and some other hon. Members went back to their seats.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल): सर, यह व्यवहार नहीं चलेगा । जब माननीय विदेश मंत्री जी देश के लिए और विश्व के लिए एक संदेश दे रहे थे, उस समय जो इन्होंने किया,... (व्यवधान) अब हम भी अधीर रंजन चौधरी जी को बोलने नहीं देगे । ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): गलत कर रहे हैं ।...(व्यवधान) मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर रंजन चौधरी जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, वर्ष 1978 में 10 मई को इस सदन में विपक्ष के नेता स्टीफेन साहब मोरार जी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे।... (व्यवधान) और जिस दिन वे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे । ... (व्यवधान)

14.34 hrs

At this stage, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यह प्रस्ताव स्पीकर महोदय के संज्ञान में है और दस दिनों का समय है।

10 दिनों के समय में स्पीकर साहब जब भी डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से सरकार तैयार है। हमारे पास पूरे मैम्बर्स हैं... (व्यवधान) देश की जनता मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास कर रही है। जनता को इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है... (व्यवधान) ये काले कपड़े क्यों पहनकर आए हैं। इन लोगों ने 60 सालों तक ...* किए हैं इसलिए ये काले कपड़े पहनकर आए हैं... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

* Not recorded

14.37 hrs

**JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2023
As Reported By Joint Committee**

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY, MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, I beg to move:

“That the Bill to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration.”

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।”

माननीय सभापति: श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी ।

... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ... (व्यवधान) मैं इस बिल के बारे में कुछ कहूँ, उससे पहले विपक्ष के मेरे माननीय सदस्यों के बारे में जरूर कुछ कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो इनके मन में है, वह तन पर भी दिख रहा है।... (व्यवधान) ये इन कपड़ों के पीछे क्या छिपा रहे हैं? ... (व्यवधान) ये इन काले कपड़ों के पीछे क्या छिपा रहे

हैं? इनका दिल भी ... * है, इनके शब्दों में भी ...* है। क्या ...** इनके पास इतना हो गया है कि उसको छिपाने के लिए इन्होंने काले कपड़े पहन रखे हैं?... (व्यवधान) या तो ...** छिपाने के लिए या इनके ... ** इतने बढ़ गए हैं कि ये अपने ...** को छिपाने के लिए काले कपड़ों में यहां पर आए हैं। वैसे तो दूसरे सदन में एक माननीय सदस्य के ऊपर भी काले कौवे ने भी अपना ध्यान आकर्षित कर लिया।... (व्यवधान)

सर, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। हम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के योद्धा हैं।... (व्यवधान) हम नकारात्मक सोच नहीं रखते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इनके जीवन से भी अंधेरा छटेगा।... (व्यवधान) हमें पूरा विश्वास है कि इनको भी रोशनी दिखेगी। सूरज इनके यहां भी उगेगा और इनके दिल का ...** खत्म हो जाएगा और एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत के लिए कमल अवश्य खिलेगा।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मंत्री जी, धन्यवाद।

सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.39 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

* Expunged as ordered by the Chair.

** Not recorded

15.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप बोल दीजिए कि नहीं होगा... (व्यवधान)

माननीय सभापति : जनविश्वास विधेयक, 2023.

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, जिन लोगों ने चेयर के ऊपर पेपर फाड़ कर फेंका है, उनको नेम करना चाहिए... (व्यवधान) This is a highly indisciplin e act. This cannot be tolerated.... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको ऐसा नहीं करना चाहिए । आपके कई माननीय सदस्यों ने यहां पेपर फाड़ कर चेयर पर फेंका है।... (व्यवधान) मैं समझता हूं कि यह चेयर का अपमान है और लोकतंत्र के मंदिर में आप जैसे वरिष्ठ लोगों का यह व्यवहार ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, कम से कम आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर को डिसपोज कीजिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपना स्थान लीजिए ।

... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill पर बोलने की अनुमति दी है।...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I gave notice... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : मैं इसके बारे में आपको माननीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार रूलिंग देता हूँ। मैं सभा का ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियमों के नियम 198 के उपनियम (2) की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। जिसमें यह उपबंध है कि जब एक बार उक्त नियम के अंतर्गत अनुमति प्रदान कर दी जाती है, तो प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नियत की जाएगी, जो ऐसी अनुमति प्रदान किए जाने के दिन से 10 दिन के भीतर होगी। परंपरा के अनुसार सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष, सभा के नेता और राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करते हैं, तथा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख और समय निर्धारित करते हैं। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

15.02 hrs**JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) BILL, 2023
As Reported By Joint Committee...Contd.**

माननीय सभापति : राजेन्द्र अग्रवाल जी ।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय सभापति जी, आपने मुझे Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठिए ।

...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : अभी काले कपड़ों पर बहुत बात हुई थी। मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूँ कि साठ के दशक में एक प्रसिद्ध अभिनेता पर काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोलकाता में स्टैम्पीड हो गया था। मेरा निवेदन है कि कुछ माननीय सदस्यों पर जेंडर न्यूट्रल हो कर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि देश और प्रदेशों में शांति रह सके।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए ।

... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : आदरणीय, सभापति महोदय, Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022 लोक सभा में 22 दिसम्बर, 2022 को प्रस्तुत किया गया था, तथा उसी दिन संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। वरिष्ठ सांसद श्री पी.पी. चौधरी जी की अध्यक्षता में यह समिति बनी तथा मुझे भी सदस्य होने के नाते समिति में सहभागी होने का सौभाग्य मिला।

15.04 hrs

At this stage, Shri Anto Antony, Prof. Sougata Ray, Shri Kaushlendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

इस संशोधन विधेयक में छोटे, तकनीकी और प्रक्रिया सम्बन्धी भूल-चूक के लिए दांडिक प्रावधान के भय को दूर कर कारोबार पर बल दिए जाने की परिकल्पना की गयी है। यह विधेयक कारोबारी सुगमता, जीवन यापन सुगम बनाने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में काफी सहायक सिद्ध होगा... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, जैसा कि इस बिल के नाम से स्पष्ट है कि जनसामान्य में शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास में वृद्धि करने के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस – कारोबारी सुगमता के लिए इस बिल को लाया गया है तथा इसमें 42 विभिन्न कानूनों के दंड विधान को संशोधित करके उनको डिक्रिमिनाइज किया गया है... (व्यवधान) अनेक कानूनों में जुर्माने (Fine) के स्थान पर अर्थदंड (Penalty) का प्रावधान किया गया है ताकि नागरिकों को कारोबारी सुगमता प्राप्त हो सके... (व्यवधान) 19 मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित इन 42 कानूनों में इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, द एनवायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग) एक्ट यानी ऐसे अनेक बिल्स हैं, जो ब्रिटिश पीरियड से भी पहले के या ब्रिटिश पीरियड के समय के हैं... (व्यवधान) यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कारोबारी सुगमता के संबंध में वर्ष 2014 से ही निरंतर काम हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 185 देशों की सूची में कारोबारी सुगमता की दृष्टि से वर्ष 2013 में 132वें स्थान के मुकाबले वर्ष 2020 तक हमने 63वें स्थान पर छलांग लगाई थी... (व्यवधान) इसी क्रम को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस जनविश्वास बिल को लाया गया है... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, संयुक्त संसदीय समिति ने श्री पी.पी. चौधरी जी के नेतृत्व में जनविश्वास बिल में उल्लिखित सभी 42 कानूनों पर एक-एक करके सभी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की, सम्बंधित मंत्रालयों/विभागों को इस चर्चा में सम्मिलित किया गया तथा उन्होंने 17 मार्च, 2023 को संसद में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि इस बिल में कुछ कानूनों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है ताकि कम्पलायंस बर्डन कम हो सके जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस (ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग) एक्ट, 1937 में कृषि उपज की ग्रेडिंग में गलती किए जाने पर 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान था, जिसे हटाकर आठ लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है... (व्यवधान) आई.टी. एक्ट, 2000 में भी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर 3 वर्ष के कारावास तथा 5 लाख रुपये जुर्माने या दोनों का प्रावधान था, जिसके स्थान पर 25 लाख रुपये अर्थदंड का प्रावधान किया गया है... (व्यवधान) इसी प्रकार अनेक कानूनों में उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। इसी प्रकार अनेक कानूनों में जुर्माने के स्थान पर दंड का प्रावधान किया गया है ताकि उल्लंघन करने पर न्यायालय न जाना पड़े... (व्यवधान) इससे दंड का कंपलायंस भी शीघ्र होगा तथा न्यायालयों पर कार्य का भार भी कम हो सकेगा... (व्यवधान) जैसे पेटेंट्स एक्ट, 1970 में ऐसे ही एक लाख रुपये तक के जुर्माने के स्थान पर 5 लाख रुपये के अर्थदंड की व्यवस्था की गयी है... (व्यवधान)

कुल मिलाकर संयुक्त समिति की सिफारिश के बाद 19 मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित 42 केन्द्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों के गैर अपराधीकरण का प्रस्ताव किया गया है... (व्यवधान) यह सुनिश्चित किया गया है कि सजा की मात्रा और प्रकृति अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो। ... (व्यवधान) इन 183 प्रावधानों में 60 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने दोनों हटाये जाने का प्रस्ताव है। 47 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को हटाये जाने का प्रस्ताव है। 3 प्रावधानों में कारावास को हटाये जाने का प्रस्ताव है। 10 प्रावधानों में जुर्माने को हटाया जाना है। 2 प्रावधानों में कारावास को हटाये जाने और जुर्माने को बरकरार रखने का प्रस्ताव है। 7 प्रावधानों में कारावास को हटाये जाने और जुर्माने को बढ़ाने का प्रस्ताव है। 108 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को पेनल्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। 80 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को पेनल्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। 2 प्रावधानों में कारावास को पेनल्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। 26 प्रावधानों में जुर्माने को पेनल्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ... (व्यवधान) कानून का उल्लंघन बार-बार करने पर अर्थदंड को क्रमशः बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है... (व्यवधान) इस संशोधन बिल में अर्थदंड निश्चित करने के लिए न्याय निर्णयन (एडजुडिकेटिंग) अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा किसी निर्णय के विरुद्ध अपीलेंट में जाने की भी व्यवस्था की गयी है... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, 42 कानूनों को संशोधित करके कारोबारी सुगमता को बढ़ाने वाला यह संशोधन बिल जनविश्वास में भी वृद्धि करेगा तथा माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूर्ण करने में सहायक होगा।... (व्यवधान) मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। ... (व्यवधान) मेरा सम्पूर्ण सदन से निवेदन है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण बिल को पास करने का कष्ट करें। ... (व्यवधान)

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for allowing me to speak on this very important Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023. ... (*Interruptions*)

As the hon. Member of Parliament who spoke just before me said, I am also fortunate enough to be a Member of the Joint Committee which examined Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill. I want to bring a few points to the notice of this august House. ... (*Interruptions*) The Bill aims to decriminalise approximately 182 provisions of 42 laws across 19 Ministries in India. Offences under certain Acts will be replaced with monetary penalties, reducing the emphasis on imprisonment. Fines and penalties provided under various provisions will be increased by 10 per cent of the minimum amount every three years after the Bill becomes law. ... (*Interruptions*) The Bill specifies the

appellate mechanisms for individuals aggrieved by the order passed by an adjudicating officer. Appeals may be filed with relevant authorities like the National Green Tribunal within specific timeframes. ... (*Interruptions*)

Sir, from YSR Congress Party, I stand here to support the Bill and want to bring to your kind notice some of the key concerns associated with the Bill. Replacing imprisonment with fines may not constitute true decriminalisation and might be termed as *quasi*-decriminalisation as fines still carry an element of censure and stigma, leading to functional differences. The number of offences deregulated by the Bill is relatively small compared to the vast regulatory framework in India. The Bill might not address the broader issues of over-criminalisation in economic legislations. The Bill's impact on true deregulation is limited, considering the vast number of imprisonment clauses in economic legislations. ... (*Interruptions*)

Sir, I want to bring to the notice of this august House some of the unintended consequences on the judicial system. Decriminalisation could inadvertently shift the burden of enforcement from the criminal justice system to administrative authorities, leading to potential inconsistencies in decision-making and enforcement practices. ... (*Interruptions*) Administrative authorities lack expertise and resources compared to the criminal justice system, and interpretation and application of regulations vary among different administrative bodies. Thus, inconsistent enforcement would create a perception of unfairness. Resource allocation within administrative authorities will be

affected. Prioritisation of cases might be influenced by factors other than severity. ... (*Interruptions*)

Sir, before I conclude, I would say a few words about balancing economic growth and social justice. While promoting ease of doing business is essential, it should not overshadow the importance of protecting public welfare, social justice and environmental concerns. So, the Bill's impact on enhancing the ease of living and doing business will largely depend on its effective implementation and ongoing stakeholders' engagement. ... (*Interruptions*)

I would request the hon. Minister to address the issues raised by the YSR Congress Party, under the leadership of our dynamic leader, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy *garu*, and take our suggestions into account. ... (*Interruptions*)

With this, I support the Bill. Thank you very much. ... (*Interruptions*)

श्री मल्लूक नागर (बिजनौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान)

इस बिल के बारे में जो समझ में आ रहा है, वह यह है कि जो सजा का प्रावधान था, उसकी जगह आर्थिक दण्ड रखा गया है। यह देश की इकॉनमी के लिए अच्छी बात है। यदि किसी को सजा देकर जेल में डाल दिया जाए, तो वह भी मर सकता है, उसका बिज़नेस भी मर सकता है। इसलिए यह एक अच्छी बात है। ... (व्यवधान)

इसी से संबंधित मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारे जितने भी सांसद हैं, जैसे मेरठ से श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी सांसद हैं, जिन्होंने कारोबारियों से संबंधित इस पर पूरी डिटेल में चर्चा की है। इसी तरह के प्रावधानों को किसानों के ऊपर भी लागू किया जाए ताकि देश के 80 परसेंट लोगों का भी विश्वास जीता जाए। जैसे किसानों के लिए एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स फ्री है। वे कृषि से

संबंधित जितना भी सामान खरीदते हैं, उन पर जीएसटी लगता है। ... (व्यवधान) मैं कहना चाहूँगा कि उनको भी जीएसटी से फ्री किया जाए। देश में अन्य कई कानून हैं, जिन पर डिबेट की जरूरत है, जैसे रेरा, एनसीएलटी आदि से संबंधित कानून हैं, यदि उनकी डिटेल् में जाएं तो कुछ लोगों को बचाने के लिए जो कानून बना है, वह दूसरी जगह बहुत-से लोगों को मार देता है। ऐसा रेरा में भी है और एनसीएलटी में भी है। ... (व्यवधान)

अतः मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बिल में और कई सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं, जिससे लोगों को इस पर ज्यादा विश्वास होगा। इसके लिए इसमें और अमेंडमेंट किये जाएं ताकि आने वाले समय में लोगों को यह लगे कि देश की सरकार हमें विश्वास में लेकर काम कर रही है।... (व्यवधान)

बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री – श्री पीयूष गोयल जी।

... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : माननीय सभापति जी, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि वर्ष 2014 से ही माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लगातार इस देश का विश्वास जीता है, इस देश का दिल जीता है। ... (व्यवधान) वर्ष 2014 में ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों के लिए समर्पित है, इस देश के दलितों के लिए समर्पित है, आदिवासियों के लिए समर्पित है, मां-बहन, बेटियों, महिलाओं की चिंता करेगी, युवाओं की चिंता करेगी। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, पिछले नौ साल के कार्यकाल में हमने माननीय प्रधान मंत्री जी की अलग-अलग योजनाओं द्वारा देखा कि कैसे उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव आया, कैसे 140 करोड़ भारतवासियों का विश्वास जीता और 140 करोड़ देशवासियों के ऊपर सरकार के लिए विश्वास कायम किया। ... (व्यवधान) एक जमाना था, जब सरकार के कानूनों के जाल में, चाहे कोई किसान हो, कोई व्यापारी हो, कोई छोटा उद्योग चलाता हो, एमएसएमई का हो, ये सब वर्षों-वर्षों तक कानूनों के लपेटे में, किसी न किसी छोटी-मोटी गलती के कारण भी इन्हें

कोर्ट्स के धक्के खाने पड़ते थे। ... (व्यवधान) इतने सारे कानूनों का जाल था। ... (व्यवधान) इतने सारे प्रावधान ऐसे थे, जिनके चलते छोटी-मोटी गलती पर भी व्यक्ति को जेल हो सकती थी। ... (व्यवधान)

ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ सभी कानूनों को पूरे तरीके से एक बार और हमें देखने का आदेश दिया। ... (व्यवधान) व्यवस्था किस प्रकार से सरल हो सकती है? व्यवस्था किस प्रकार से विश्वास के आधार पर व्यापार और कारोबार को बढ़ा सकती है? कैसे सरकार और उपभोक्ता के बीच यह विश्वास का अटूट संबंध और अच्छा किया जाए, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश में जितने कानून हैं, उनके ऊपर गंभीरता से स्टडी की, उनकी जानकारियां निकालीं, लोगों के बीच में जाकर हमारे जनप्रतिनिधियों ने समझा कि उनको किन चीजों की तकलीफ है? ... (व्यवधान) मैं हमारी सरकार के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही साथ सम्माननीय सदस्यों का भी, जिन्होंने हमें काफी फीडबैक दी, काफी सूचनाएं दीं, काफी जानकारियां दीं कि किस प्रकार से एक सामान्य आदमी को रोजमर्रा के जीवन में तकलीफें आती हैं और कैसे हम कानूनों में सुधार करके उन तकलीफों का समाधान कर सकते हैं? ... (व्यवधान)

गत नौ वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 1,500 ऐसे कानून थे, जो पुराने जमाने से चले आ रहे थे, कई तो गुलामी की मानसिकता रखते थे, वे आजादी से पहले के कानून थे। ... (व्यवधान) कई कानून इतने इर्रेशनल थे, जिनका कोई अता-पता नहीं था, कोई मतलब नहीं था। ... (व्यवधान) ऐसे करीब 1,500 कानून पूरी तरीके से रद्द किए गए, रिपील किए गए, जिससे जनता को और लोगों को एक राहत मिली। ... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से यह बात इसलिए कहूंगा कि वे जरूर जनता तक इस बात को पहुंचाएं। ... (व्यवधान) मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 40,000 ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे प्रोसेस, सरकार के ऐसे दिए हुए प्रावधान थे, जिनमें जनता को तकलीफ पहुंचाने की बहुत सारी संभावनाएं थीं। ... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने गत नौ वर्षों में 40,000 ऐसे कम्पलाएंस बर्डन, जिनकी लोगों को

पूर्ति करनी पड़ती है, ऐसे कम्पलाएंस बर्डन को या तो सरल किया या पूरी तरीके से खत्म किया ।
... (व्यवधान)

एक प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे उद्योग और व्यापार को सरल किया जाए और ईज ऑफ लिविंग, कैसे सामान्य व्यक्ति के जीवन में और सुविधा पहुँचे और उनको तकलीफ न हो।
... (व्यवधान) ऐसे कई सारे प्रावधान, 40 हजार के करीब प्रावधानों का सरलीकरण या पूरी तरह से रद्द करने का काम हुआ है।... (व्यवधान) इसी क्रम में कई सारे ऐसे प्रावधान देखे, जिसमें छोटी-मोटी गलती पर भी व्यक्ति को कोर्ट के धक्के खाने पड़ते थे।... (व्यवधान) उस कानून व्यवस्था के हिसाब से कोर्ट से अपने आपको मुक्त कराने के लिए उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था ।... (व्यवधान) अगर कोई छोटा-मोटा फाइन भी लगना होता है तो वह फाइन कोर्ट के माध्यम से लगने के कारण लोगों को तकलीफ होती थी।... (व्यवधान) कारोबार में बाधाएं आती थीं । ... (व्यवधान) उसके रहते जो डर का माहौल था, जिस डर के कारण हमारे छोटे दुकानदार, हमारे छोटे ठेले वाले, हॉर्कर्स, हमारे एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले छोटे उद्योग या उद्योग जगत के लोगों को जो तकलीफें आती थीं, ऐसे लगभग 3,600 कानूनों को डीक्रिमिनलाइज यानी उसमें अब उन्हें कोर्ट के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।... (व्यवधान) कोई छोटी-मोटी गलती हो गई, किसी ने कोई ऐसा छोटा-मोटा अपराध कर दिया, जिसमें कोई गंभीर किसी के ऊपर नुकसान न हुआ हो, तो उन कानूनों को क्रिमिनल न माना जाए।... (व्यवधान) सिविल लायबिलिटी हो।... (व्यवधान) उनके ऊपर जुर्माना अवश्य हो, जिससे वे आगे ऐसी गलती न करें।... (व्यवधान) आगे इस चीज का ध्यान रखें।... (व्यवधान) आगे लोगों को तकलीफ न हो, लेकिन एक फाइन देकर या पेनल्टी देकर उनको सुधार करने का एक और मौका दिया जाए।... (व्यवधान) मैं समझता हूँ कि पूरे देश ने इसका स्वागत किया है।... (व्यवधान) पूरे देश में इस विषय के ऊपर आम सहमति है कि इस सरकार ने देशहित और जनहित को सामने रखते हुए यह जो डीक्रिमिनलाइजेशन का सिलसिला शुरू किया है।... (व्यवधान) अलग-अलग कानूनों में जो 3,600 ऐसे प्रावधान डीक्रिमिनलाइज किए हैं, वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम है।... (व्यवधान) इसके लिए मैं आज माननीय प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हूँ और उनका साधुवाद करता हूँ... (व्यवधान) इसी क्रम में फिर एक बार जब हम अलग-अलग कानून लेकर बैठे तो ध्यान में आया कि लगभग 42 ऐसे कानून हैं, 42 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जिनमें 183 प्रावधान हैं, जिसमें 19 मंत्रालय, 19 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स या मंत्रालय जुड़े हुए हैं... (व्यवधान) जो लोगों को तकलीफ भी देते हैं... (व्यवधान) इसमें कई बार गलत काम की भी खबरें आती हैं और छोटी-मोटी गलती के लिए सामान्य कारोबारी को, सामान्य व्यापारी को, सामान्य उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति को या सामान्य जन-मानस को तकलीफ आती है... (व्यवधान) ऐसे 42 कानूनों में, जिन्हें ये 19 मंत्रालय या डिपार्टमेंट्स देखते हैं, उनमें 183 प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया है और यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है... (व्यवधान) ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है... (व्यवधान) यह माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि एक साथ 19 डिपार्टमेंट्स मिलकर इतने सारे कानूनों में डीक्रिमिनलाइज करके सरलता लाई गई है... (व्यवधान) लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि यह आपने गलती की है, आगे गलती मत करना, इसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी... (व्यवधान) आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी... (व्यवधान) दूसरी बार गलती करोगे तो और अधिक पेनल्टी लगेगी ।... (व्यवधान) जो लोग बार-बार गलती करेंगे तो जरूर उनके ऊपर एक्शन हो सकता है... (व्यवधान) साधारणतः हमारा मानना है कि सामान्य कारोबार करने वाला व्यक्ति, एक जो छोटा काम करने वाला उद्योजक या व्यापारी है, वह ईमानदार होता है... (व्यवधान) देश के करोड़ों ऐसे ईमानदार व्यापारियों या उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों पर शंका करना इस सरकार की सोच नहीं है।

सभापति जी, हमारी सरकार सभी पर विश्वास करती है। यह सरकार छोटे कारोबारियों को विश्वास के नजरिए से देखती है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों की सूझबूझ, ईमानदारी और विवेक पर विश्वास करते हैं कि वे अच्छा काम करेंगे... (व्यवधान) यदि उनसे भूल से कोई गलती हो गई, तो उन्हें सुधार का एक मौका मिलना चाहिए। यह सिलसिला इस 'जन विश्वास' कानून के तहत करने का प्रयास शुरू किया गया है। ये ऐसे प्रावधान हैं, जो गंभीर

आहत नहीं पहुंचाते हैं या श्रेट नहीं हैं, जिनके कारण किसी व्यक्ति को सीधे जेल भेजना पड़े। यदि ऐसा कोई प्रावधान हो, जिससे लगे कि गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, उसे हमने छुआ नहीं है।... (व्यवधान) सिर्फ ऐसे प्रावधान जो छोटी-मोटी गलती से जुड़े हैं, ऐसे प्रावधानों का सरलीकरण और डीक्रिमिनलाइज करने हेतु सिर्फ पेनल्टी रखी है और दूसरी गलती पर ज्यादा पेनल्टी लगेगी। ऐसे एक कैलिब्रेटेड अप्रोच जिससे लोगों में विश्वास भी बढ़े और छोटे व्यापारी या छोटे उद्योग से जुड़े व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार न हो। दुर्व्यवहार करने के सिलसिले को कदापि प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार सहन नहीं करती है और चाहती है कि विश्वास के साथ लोगों को देखा जाए।... (व्यवधान)

महोदय, इस कानून को पेश करने के बाद सिलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के तहत जॉइंट कमेटी बनाकर दिया गया। मैं समिति के सदस्यों और चेयरमैन श्री पी.पी. चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके दिन-रात एक करके, लगातार सिटिंग्स करके लगभग 9 सिटिंग्स कम अवधि में कीं। हमने दिसम्बर में बिल लोक सभा में इंट्रोड्यूज किया और आज जुलाई में इसे पास करने जा रहे हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट 20 मार्च, 2023 में लोक सभा में और 17 मार्च, 2023 को राज्य सभा में समय पर पेश हो गई। सिर्फ 90 दिन से कम समय में श्री पी.पी. चौधरी जी और उनकी कमेटी के सदस्यों ने जो मेहनत की उसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूं। कमेटी ने बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन्स दी हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जहां फाइन रखा है, उसे पेनल्टी बना दी जाए। हमने उसे स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि एडजूडिकेशन मैकेनिज्म और एक एपेलेट अथॉरिटी पेनल्टी की रिकवरी के लिए एस्टेब्लिश की जाए, हमने इस अनुशंसा का सम्मान किया और जो भी समिति की जनरल रिकमेंडेशन्स थीं, जो साधारणतः 7 अनुशंसाएं थीं, उनमें से छह को हमने स्वीकार किया है।... (व्यवधान) सिर्फ एक प्रावधान है, जिस पर उन्होंने कहा था कि क्यों न यह संशोधित प्रावधान पुरानी जो गलतियां हुईं, वे भी इन्हीं प्रावधानों के तहत देखी जाएं और इन प्रावधानों के तहत उन गलतियों के लिए छूट मिल जाए। हमने जब इसे लीगली एग्जामिन किया तो ध्यान में आया कि इसमें बहुत समस्या है।... (व्यवधान) इसे हम रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं दे सकेंगे। केवल इसी सुझाव को हमने स्वीकार नहीं किया। मैं

सभी 31 सांसदों को, जो समिति के सदस्य थे, उन सभी की सराहना करना चाहता हूँ क्योंकि जिस गंभीरता और जिस लगन के साथ तथा डिटेल में पूरे एक-एक प्रावधान को गंभीरता से उन्होंने लिया, वह वास्तव में सराहनीय है और मैं उन्हें उनके सुझावों और उनकी इस कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ... (व्यवधान)

जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है, यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा... (व्यवधान) यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है... (व्यवधान) हमने ऑलरेडी एक कमेटी बना दी है... (व्यवधान) एक और कमेटी की अनुशंसा यह भी थी कि हमें आगे और कानूनों को देखने के लिए एक और कमेटी बनानी चाहिए और उस कमेटी के द्वारा आगे के कानूनों को भी देखने का प्रयास करना चाहिए... (व्यवधान) Working Group for decriminalization of legislation - ऐसी एक कमेटी हमने स्थापित कर दी है... (व्यवधान) उसमें अलग-अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स को लिया है, लीगल प्रोफेशनल्स को लिया है, कानून के विशेषज्ञों को लिया है, साथ ही साथ अलग-अलग सात मंत्रालय के अधिकारियों को लिया है और अलग-अलग संस्थाएं, जैसे National Housing Bank, National Bank for Agriculture and Rural Development, Central Pollution Control Board, इन सभी की सदस्यता वाली एक कमेटी बनाई है, जो इस सिलसिले को आगे भी चलाएगी।... (व्यवधान)

आज जो यह जन विश्वास बिल है, यह जनता के ऊपर प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, पूरी सरकार और देश का जो विश्वास अटल है, अटूट है, उस विश्वास को दर्शाता है... (व्यवधान) प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की जो इच्छा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत, विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बने, उसके लिए मार्ग बनाने का यह एक कानून है... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी का यह दृढ़ निश्चय है कि भारत को एक विकसित देश, समृद्ध देश बनाएं, जब हम सब आजादी के 100 साल मनाने के लिए वर्ष 2047 में मिलें, तब तक यह देश एक विकसित देश बने, एक समृद्ध देश बने, एक ऐसा देश जिसमें किसी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, एक ऐसा देश, जिसकी अर्थव्यवस्था विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो, एक ऐसा देश जिसमें

कोई व्यक्ति गरीब न हो, एक ऐसा देश जिसमें हर महिला, हर बेटी, हर मां, बेटी का सम्मान हो, एक ऐसा देश, जिसमें हर युवा-युवती को काम करने के अपार अवसर मिलें... (व्यवधान) उस सपने को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार दिन-रात एक कर रही है... (व्यवधान) प्रधान मंत्री मोदी जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया... (व्यवधान) जिस प्रकार प्रधान मंत्री मोदी जी न थकते हैं, न रुकते हैं, जिस प्रकार से मोदी जी ने ठान लिया है कि अब देश चल पड़ा है, अब इस देश को कोई रोक नहीं पाएगा, अब इस देश के 140 करोड़ लोग, उसमें शायद कुछ लोगों को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपनी कर्तव्य भावना का अहसास नहीं हो रहा है, पर साधारणतः देश के सामान्य जनमानस के दिल में आज एक ही नाम बैठा है, वह है - नरेन्द्र मोदी... (व्यवधान) नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज यह सरकार इस देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन लाई है, आज जिस प्रकार से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अलग-अलग योजनाओं के द्वारा देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव और सुधार लाया है, इस काम में हम सब सहमति से और एकजुट होकर देश को और आगे ले जाने के काम में लगे हैं... (व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास' का जो नारा दिया है, उसको सामने रखते हुए हम विश्वास के आधार पर सरकार चलाएंगे, विश्वास के आधार पर व्यवस्थाएं चलाएंगे और विश्वास के आधार पर इस देश को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाएंगे... (व्यवधान) आप सब इस बिल का समर्थन करें, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ... (व्यवधान) आपसे भी मेरा अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण बिल पर आप भी समर्थन दें, जिससे देश में एक स्वर में आवाज़ जाए कि पूरा सदन देश का विश्वास जीतना चाहता है... (व्यवधान)

बहुत-बहुत धन्यवाद ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने

हेतु कतिपय अधिनियमों का संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3

Revision of fines and penalties

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन - संशोधन संख्या 1 और 2.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन - संशोधन संख्या 15 से 17.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट डीन कुरियाकोस - संशोधन संख्या 19.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

Clause 4

Savings

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन - संशोधन संख्या 18.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

अनुसूची

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन - संशोधन संख्या 3 से 13.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

Clause 1

Short title and commencement

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन - संशोधन संख्या 14.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15.35 hrs

REPEALING AND AMENDING BILL, 2022

माननीय सभापति : आइटम नंबर 16 – निरसन और संशोधन विधेयक

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE,
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN**

RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I beg to move* :

“That the Bill to repeal certain enactments and to amend an enactment, be taken into consideration.”

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill to repeal certain enactments and to amend an enactment, be taken into consideration.”

... (*Interruptions*)

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के पक्ष में बोल रहा हूँ । इस विधेयक के तहत मोदी सरकार का मूल सिद्धांत है:- मिनिमम गवर्नमेंट - मैक्सिमम गवर्नेंस । ... (व्यवधान) इसके तहत इन कानूनों को हटाया जा रहा है । इसमें से कुछ तो ऐसे हैं और वित्तीय एप्रोप्रिएशन के जो कानून हैं, उनको पिरिऑडिकली हटाना ही होता है। कुछ ऐसे पुराने कानून हैं, जिनका आज कोई औचित्य नहीं है, ऐसे कानूनों को हटाने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।... (व्यवधान)

* Moved with the recommendation of the President.

इसके अलावा, अधिनियम में जो टेक्निकल गलती है, उसको भी सुधारा जा रहा है। ...
(व्यवधान) मैं इसका समर्थन करता हूँ और इसके पक्ष में अपना मत रखता हूँ। धन्यवाद। ...

(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, यह बिल इसलिए भी महत्वपूर्ण

है कि ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ ड्रूंग का हमारा जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पर यह बिल है।

... (व्यवधान) अभी हमारे यूपीए के साथी कह रहे थे कि इसे बिना चर्चा ही पास कर दें।...

(व्यवधान) मैं इनकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ कि यूपीए जब वर्ष 2004 और वर्ष 2014 के बीच शासन में थी, तो उन्होंने एक भी ऐसा बिल, जिसको रिपील किया है, ऐसा नहीं कर पाए।

... (व्यवधान) जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, तो उन्होंने सोचा कि यह भी एक एरिया

है, जिसमें हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के नाते नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग और

ईज ऑफ ड्रूंग बिजनेस में इजाफा कर सकते हैं।... (व्यवधान) होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच के नाते,

उन्होंने देखा कि ऐसे बहुत से बिल हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है।... (व्यवधान) अब तक हम

1486 बिल निरस्त कर चुके हैं। उसके बाद हमने ऐसे और 65 बिल छॉटें, जिनकी कोई उपयोगिता

नहीं थी।... (व्यवधान) उससे नागरिकों को परेशानी होती थी। कुछ लोग उसको लिस्ट बनाकर

रखते थे। उनको भी हमने पिछली बार लोक सभा में इंट्रोड्यूस किया।... (व्यवधान) लेकिन, उसके

बाद हम एक ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आए हैं। इसमें 11 ऐसे और बिल थे, जो ब्रिटिश काल के

थे और उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। उनको नागरिक भी नहीं जानते थे और वे इससे परेशान

भी होते थे।... (व्यवधान) इसलिए, ऐसे टोटल 76 बिल आज हम लेकर आए हैं। अगर हम इन

टोटल बिल्स को पास करेंगे तो ऐसे बिलों की संख्या 1562 होगी। यह बड़ी संख्या है।... (व्यवधान)

वर्ष 2014 में जब से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए आई, तब से इन बिलों की संख्या 1562

है। अगर मैं वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक यूपीए का आंकड़ा दूँ तो ऐसा एक भी बिल नहीं है।...

(व्यवधान) इसका मतलब है कि नागरिक परेशान हो रहे थे और इनको चिंता ही नहीं थी।...

(व्यवधान) इसकी चिंता मोदी जी को है। इसलिए, ऐसे बिल जो निरर्थक थे, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उनको हम लेकर आए हैं... (व्यवधान) मैं अनुरोध करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवादा... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और अधिनियमिति का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 6-7 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, -

“1850	18	न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850.
1855	28	सूदखोरी विधि निरसन अधिनियम, 1855.
1857	05	ओरियन्टल गैस कंपनी अधिनियम, 1857.
1867	11	ओरियन्टल गैस कंपनी अधिनियम, 1867.
1871	04	कोरोनर अधिनियम, 1871.
1881	16	नाव्य जलपथ बाधा अधिनियम, 1881.
1885	18	भूमि अर्जन (खान) अधिनियम, 1885.

1912	13	दिल्ली विधि अधिनियम, 1912.	
1915	07	दिल्ली विधि अधिनियम, 1915.	
1922	22	पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922.	
1923	06	छावनी (गृह आवास) अधिनियम, 1923.	
1934	15	गन्ना अधिनियम, 1934.	
1941	12	दिल्ली भूमि उपयोग निर्बंधन अधिनियम, 1941 ।”।	(3)

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि पहली अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पहली अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दी गई ।

दूसरी और तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं ।

Clause 1

Short title

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3, “2022” के स्थान पर “2023” रखें। (2)

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

... (व्यवधान)

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, “तिहत्तरवें” के स्थान पर “चौहत्तरवें” रखें। (1)

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक, यथा संशोधित पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

15.49 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Friday, July 28, 2023/Sravana 6, 1945 (Saka).*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)
